VISIONIAS

www.visionias.in

Classroom Study Material

राजव्यवस्था-II

October 2016 – June 2017

Note: July, August and September Material will be updated in September Last week.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

7. पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता के महत्वपूर्ण पहलू 4

7.1 सूचना के अधिकार से संबंधित मुद्दें 4

7.1.1 परिचय 4

7.1.2. RTI के अंतर्गत छूट और धाराएं 4

7.1.3. ऑफ़ीशियल सीक्रेट एक्ट (OSA) और RTI 5

7.1.4. RTI के प्रदर्शन का विश्लेषण 6

7.1.5. RTI में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम 7

7.1.6. RTI के निष्पादन में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम 9

7.2. भ्रष्टाचार की रोकथाम 10

7.2.1. लोकपाल की नियुक्ति में विलंब 10

7.2.2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी 11

7.3. बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 12

8. शासन 14

8.1. पुराने कानूनों का निरसन 14

8.2. NGOs से सम्बंधित मुद्दें 15

8.2.1. NGOs का विनियमन 15

8.3. आपराधिक न्याय प्रणाली 18

8.4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 20

8.5. खेल प्रशासन 21

8.5.1. पारदर्शिता में वृद्धि 22

8.6. विश्वविद्यालय और राजनीति 23

8.7. सेना से जुड़े समता सम्बन्धी मुद्दे 24

8.8. 7वां वेतन आयोग 25

9. ई-गवर्नेंस 28

9.1. ई-क्रांति: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2.0 28

9.2. हाल ही में आरम्भ की गई अन्य पहलें 29

9.2.1. ICT विजन डॉक्यूमेंट 2025 29

9.2.2. प्रगति: प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन 29

9.2.3. जनता के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन 30

9.2.4. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) 30

9.2.5. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) 31

9.3. ई-शासन पहलों की चुनौतियां और सीमाएं 31

10. स्थानीय शासन 33

10.1. म्युनिसिपल बांड 33

VISION IAS

10.2. 14 वां वित्त आयोग और स्थानीय सरकार 34
10.3. प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर (मेयर) 36
10.4. शहरी विकास मन्त्रालय : नए सुधार 37
11. अन्य महत्वपूर्ण विधान/विधेयक और अधिनियम 38
11.1. आधार 38
11.2. शत्रु संपत्ति (संशोधन और मान्यकरण) विधेयक, 2016 40
11.3. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 41

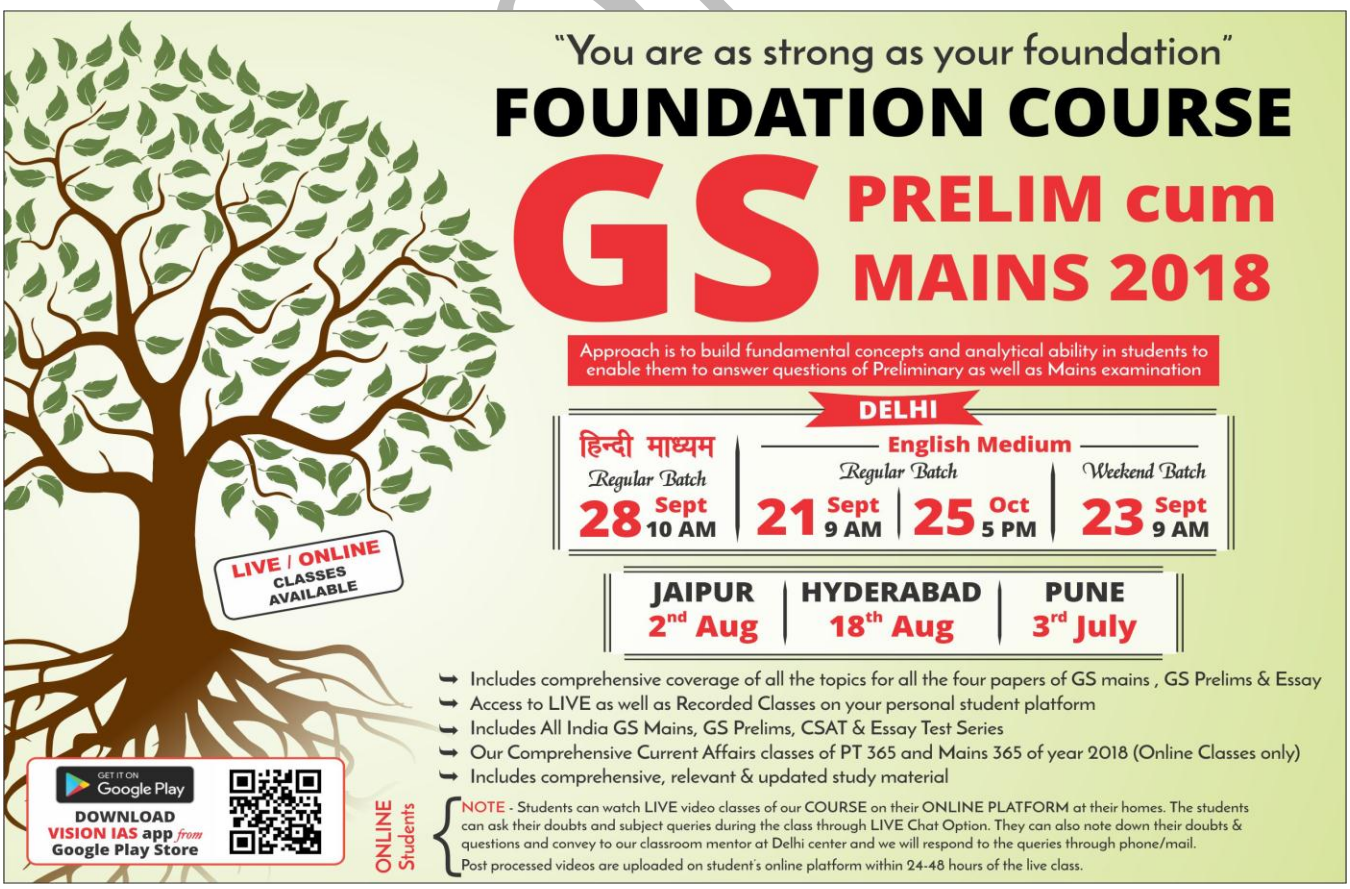

7. पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता के महत्वपूर्ण पहलू

(IMPORTANT ASPECTS OF TRANSPARENCY & ACCOUNTABILITY)

7.1 सूचना के अधिकार से संबंधित मुद्दें

(Issues Related To RTI)

7.1.1 परिचय

(Introduction)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाने, जवाबदेही बढ़ाने व सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार को रोकने का भी काम करेगा। इसके कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसने सरकारी मशीनरी की सोच और कार्यशैली को परिवर्तित किया है।

किस प्रकार RTI अधिनियम ने नागरिक अधिकार और सक्रियतावाद से संबद्ध एक नई पीढ़ी को तैयार किया हैं?

- RTI के प्रयोग मे अनेक चुनौतियां होने के बावजूद लोगों ने इसका व्यापक रूप से उपयोग किया है तथा इस तरह अपनाया जैसे किसी अन्य कानून को अब तक नहीं अपनाया गया।
- उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के प्रयास में यह कानून मानवीय इच्छा जैसे गरिमा, समानता और इन्हें प्रवर्तित करने की क्षमताओं के लिए एक उम्मीद प्रदान करता है।
- RTI ने संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया है और लोकतंत्र के आधार पर जनता को जवाब मांगने के लिए सशक्त किया है। यह सामान्य नागरिकों में प्रश्न पूछने की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है।
- यह नीतिगत पंगुता (policy paralysis) से बचने में मदद कर सकता है और अधिक सूचित, न्यायसंगत और सुदृढ़ निर्णयन प्रक्रिया का निर्माण करता है।
- सुशासन के अतिरिक्त RTI ने विकास प्रक्रिया में भी सहयोग किया है:
  - सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के प्रभावी वितरण, जागरूकता और अधिकार की अनुभूति।
  - आय और खाद्य सुरक्षा की गारंटी: सामाजिक कल्याण योजनाओं में लीकेज और भ्रष्टाचार में कमी, बेहतर जांच, संसाधनों का आवंटन, सेवाओं का प्रभावी वितरण।
  - मानव संसाधन: शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए SSA जैसी योजनाएं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का बेहतर ढंग से कार्यान्वयन।

7.1.2. RTI के अंतर्गत छूट और धाराएं

(Exemptions and Sections Under RTI)

इंटेलिजेंस एंड सिक्यूरिटी आर्गेनाईजेशन के लिए छूट- RTI की धारा 24 के अनुसार द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट इंटेलिजेंस एंड सिक्यूरिटी आर्गेनाईजेशंस पर RTI लागू नहीं होती है। लेकिन अपवाद स्वरुप मानवाधिकार तथा भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर ये संगठन RTI के जरिये मांगी गयी जानकारी देने से मना नहीं कर सकते है।

RTI के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल (AG) की स्थिति

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अधिनियम की धारा 2 (h) के अंतर्गत AG सार्वजनिक प्राधिकारी नहीं है। इसके निम्न कारण हैं :

- AG और भारत सरकार के बीच संबंध अधिवक्ता और क्लाइंट का है क्योंकि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत AG को कानूनी विषयों पर सलाह देने और केवल कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्य निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
- AGI, भारत सरकार के साथ विश्वसनीय संबंध रखता है और लाभ का पद ग्रहण नहीं करता है।

- AG द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य अधिवक्ता के समान होते हैं, इस प्रकार, वह संबंधों या दूसरों के अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए समर्थ नहीं है।
- AG सार्वजनिक पटल पर अपनी राय या उसे अग्रेषित तथ्य नहीं रख सकता है।

दूसरी अनुसूची के दायरे में 26 इंटेलिजेंस एंड सिक्यूरिटी एजेंसियां सम्मिलित हैं। उनमें से कुछ IB, RAW, कैबिनेट सचिवालय, BSF, NSG आदि हैं।

हाल ही में,नेशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) के अंतर्गत आने वाले स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड (SFC) को, इस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।

RTI की धारा 8 के अंतर्गत कुछ निश्चित सूचनाओं के लिए छूट

- राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता
- राष्ट्रीय आर्थिक हित
- विदेशी राज्यों के साथ संबंध
- कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रिया
- कैबिनेट और अन्य निर्णय लेने वाले दस्तावेज
- व्यापार और वाणिज्यिक गोपनीयता
- व्यक्तिगत निजता
- व्यक्तिगत गोपनीयता

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (h) के अनुसार "लोक प्राधिकारी" में सम्मिलित हैं:

- कोई भी प्राधिकरण या निकाय तथा स्वशासन की संस्था
  - संविधान द्वारा या इसके अंतर्गत स्थापित या गठित
  - संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा स्थापित या गठित
  - केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले या सरकार द्वारा नियंत्रित या पर्याप्त सीमा तक वित्तपोषित निकाय
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त सीमा तक वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठन

7.1.3. ऑफ़ीशियल सीक्रेट एक्ट (OSA) और RTI

(Official Secret act And RTI)

RTI अधिनियम, 2005 की धारा 8 (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि OSA के साथ टकराव की स्थिति में, लोक हित को वरीयता दी जाएगी। यदि सूचना प्रदान करने से लोक हित में होने वाली वृद्धि, संरक्षित हितों को होने वाली हानि से अधिक हो तो लोक प्राधिकारी सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करा सकता है।

इसलिए,*ऑफ़ीशियल सिक्रेट एक्ट,*1923 को निरस्त करने की मांग की जा रही है। यहां तक कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी इसे निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। किन्तु जासूसी, अवैध कब्जे और राज्य की सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील सूचना के संचार से संबंधित मामलों से निपटने वाला एकमात्र कानून होने के कारण इसे निरस्त नहीं किया गया है।

RTI पर OSA का प्रभाव

- दस्तावेज संवेदनशील होने और मांगी गई सूचना का प्रकटीकरण सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होने जैसे अस्पष्ट कारणों का हवाला देते हुए सूचना के प्रसार को बाधित किया जा रहा है। इसके कारण RTI के कार्यान्वयन में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो रही है।
- औपनिवेशिक युग के कानून, वर्तमान युग में भी गोपनीयता को बढ़ावा दे रहे हैं।

इस समस्या के समाधान हेतु सुझाव

- विभागीय सुरक्षा निर्देशों में इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए कि केवल RTI के तहत छूट प्राप्त करने योग्य जानकारी को ही सुरक्षात्मक श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाये।
- राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा बिल का प्रावधान किया जा सकता है जिसकी अनुशंसा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी की गई है।

VISION IAS

7.1.4. RTI के प्रदर्शन का विश्लेषण

(Performance Analysis of RTI)

RTI अधिनियम के अधिनिर्णायकों (सूचना आयोगों) का प्रदर्शन

सूचना देने से मना करने के निम्न कारण हैं-

- सूचना का पिछले वर्षों से संबंधित होना,
- मांगी गयी सूचना का अत्यधिक विस्तृत होना,
- PIOs का दावा कि उक्त सूचना का पता नहीं लगाया जा सकता,
- सूचना आयोग ने निर्धारित किया है कि आवेदक के पास जानकारी प्राप्त करने के लिए "कोई उचित कारण नहीं था"।

इनमें से कोई भी तर्क सूचना देने से इनकार करने के लिए वैध आधार नहीं हैं।

सूचना आयोगों (ICs) द्वारा सूचना संबंधी मनाही के लिए (RTI अधिनियम के उल्लंघन में) जहां जुर्माना लगाया जाना चाहिए था, वहां केवल 1.3 प्रतिशत मामलों में ही जुर्माना लगाया गया। यह दण्ड से मुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसके प्रभाव है:

- दंड से उन्मुक्ति के कारण (RTI अधिनियम के तहत 25,000 रुपये) सरकारी खजाने को 290 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक नुकसान पहुंचा है।
- राजस्व क्षति से भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण क्षति, उस डर की समाप्ति है जो जुर्माने के कारण प्रभावी रहता।
- RTI अधिनियम के वे प्रावधान जिन्हें सूचना के इंकार के लिए सबसे ज्यादा लागू किया गया, धारा 7 (9) (संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग) और धारा 11 (1) (तृतीय पक्ष जानकारी) थे। अध्ययन के अनुसार इसमें से किसी को भी सूचना देने से इंकार करने का वैध आधार नही माना जा सकता हैं।
- राज्य आयोगों में से कई ने अपनी सालाना रिपोर्ट वेबसाईट पर सार्वजनिक नहीं किया और बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने सूचना अद्यतन की।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, सूचना आयोगों के आदेशों के विश्लेषण में 60 फीसदी से अधिक मामलों में महत्वपूर्ण तथ्यों की रिकॉर्डिंग नहीं होने की कमियां देखी गयी। यह स्थिति 30 दिनों के निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान करने में बाधा उत्पन्न करती है। प्रशिक्षित PIO की अनुपलब्धता और बुनियादी ढांचे (कंप्यूटर, स्कैनर्स, इंटरनेट, फोटोकॉपी आदि) की अपर्याप्तता इसकी विफलता के लिये उत्तरदायी है।
- राजस्थान और बिहार के राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) 74 प्रतिशत और 73 प्रतिशत मामलों में मांगी सूचना ना देने के कारण सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले आयोग थे।
- अध्ययन किये गए 16 राज्य सूचना आयोगों में शिकायतों के निपटान में सामूहिक बैकलॉग, 31 दिसंबर, 2015 तक खतरनाक रूप से 1,87,974 मामले थे।
- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के लंबित मामलों में 43 फीसदी की वृद्धि देखी गयी।

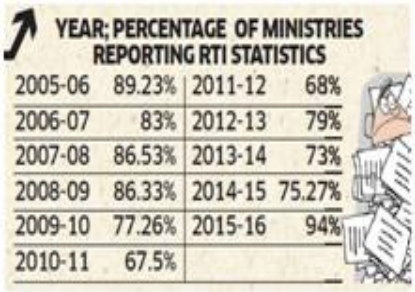

- RTI अधिनियम के तहत सभी सरकारी अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित के सम्बद्ध में सूचना प्रदान करे :
  - प्राप्त RTI आवेदनों, निपटाए गए आवेदनों और लंबित आवेदनों की संख्या।
  - अस्वीकृत किए गए आवेदन तथा अस्वीकृत करने के आधार।
  - दर्ज की गई प्राथमिक अपीलों की संख्या।
- हालांकि, कई वर्षों से सरकारी अधिकारी अपने RTI आंकड़ों की सूचना प्रदान करने में अनिच्छुक रहे हैं। 2010-11 में इस नियमों का पालन करने वाले अधिकारियों का प्रतिशत मात्र 67.5% ही था।

VISION IAS

लोक प्राधिकरणों का प्रदर्शन

- केंद्रीय सूचना आयोग की 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 94 प्रतिशत केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों ने RTI अधिनियम के क्रियान्वयन का विवरण दिया है।
- 2005-06 में RTI के लागू होने के बाद पहली बार सार्वजनिक प्राधिकरणों के द्वारा इसके अनुपालन की दर 90% से अधिक रही। यह स्थिति पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की स्थापना की ओर हो रही प्रगति का संकेत देती है।
- इस अधिनियम में उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के बावजूद, सरकारी और सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सीमित प्रयास किये गये हैं। वेबसाइट्स पर नियमों और FAQs के प्रकाशन के प्रयास भी सीमित ही रहे हैं।
- विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम के अनुपालन की उचित निगरानी, सूचना आयोग का एक प्रमुख उत्तरदायित्व है। इसके बेहतर निर्वहन के माध्यम से दायर याचिकाओं की संख्या में भी कमी की जा सकती है।

RTI में नागरिकों की सहभागिता

सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार-

- भारत में प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 लाख RTI दायर की जाती है
- पिछले दशक के दौरान लगभग 2 % भारतीयों ने इस कानून का प्रयोग किया

RTI का दुरूपयोग

2016 में राज्य सभा में कई सांसदों ने निम्नलिखित कारणों से इस अधिनियम में संशोधन की मांग की:

- इसका प्रयोग सार्वजनिक अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है जिससे उनकी निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती हैं।
- बड़ी संख्या में अनावश्यक RTI आवेदन पत्र दाखिल होने से शासन की दक्षता प्रभावित होती हैं।
- यह अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना अपना स्थान बताये संवेदनशील मुद्दों यथा मिसाइल कार्यक्रमों या अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है।

हालांकि, RTI अस्सेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप (RaaG) और नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राईट टू इनफार्मेशन (NCPRI) के अध्ययन एक अलग ही तस्वीर पेश करते है इसके अनुसार:

- अनावश्यक RTI आवेदन की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम हैं।
- अधिकांश आवेदकों ने सरकार के कार्यों, सार्वजनिक अधिकारियों के कामकाज और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग संबंधी बुनियादी जानकारी मांगी हैं।
- मात्र 1 प्रतिशत से अधिक आवेदनों द्वारा ही विशाल स्तर की सूचनाएं मांगी जाती है जिससे समय की बर्बादी होती है।
- RTI द्वारा मांगी गई 70 प्रतिशत सूचनाओं को पहले से ही सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए था।
- अधिनियम की धारा-8 स्पष्ट रूप से ऐसे अपवादों को रेखांकित करती है जो राष्ट्रीय महत्व के अंतर्गत आते हैं।

7.1.5. RTI में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम

(Steps Taken to Improve RTI)

7.1.5.1. CIC में सुधार

(Reforms in CIC)

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। अब यह ई-न्यायालय की भांति कार्य कर रहा है। इसने RTI प्रक्रिया में निम्नलिखित नई विशेषताएँ जोड़ी हैं:

- RTI अधिनियम के अंतर्गत शिकायत या अपील दायर करने पर **रियल टाइम अपडेट्स** उपलब्ध हो सकेंगी।

- जैसे ही RTI आवेदक अपील/शिकायत दर्ज करेगा, उसे एक पंजीकरण संख्या उपलब्ध कराई जाएगी तथा उसके मुकदमे एवं उसकी प्रगति के संबंध में उसे ईमेल और मोबाइल फोन द्वारा सूचित किया जाएगा।
- मुकदमे को संबंधित सूचना आयुक्त की रजिस्ट्री में तुरंत डिजिटल रूप से स्थानांतरित किया जा सकेगा।
- रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में रखना- CIC पहले ही 1.5 लाख फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर चुका है।
- आयोग अपीलों को शिकायतों से अलग करने में भी सक्षम हो जायेगा।
- जो प्राधिकारी इसका अनुपालन नहीं करते हैं, उनके लिए CIC ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में **नेमिंग एन्ड शेमिंग (नामोल्लेख एवं निंदा)** की नीति प्रारम्भ की है।

परिवर्तनों के प्रभाव

- **वर्तमान में** RTI की पूरी प्रक्रिया में कुछ दिनों का समय लगता हैं लेकिन इन परिवर्तनों के समावेशन से पूरी प्रक्रिया को कुछ घंटों के भीतर ही संपन्न किया जा सकेगा।
- सुनवाई में तेज़ी एवं अधिक सुविधाजनक।
- इस सुविधा से न केवल अपीलकर्ता को लाभ मिलेगा बल्कि सूचना आयुक्तों द्वारा मामलों का जल्द निपटान भी किया जा सकेगा।
- इन सुधारों के माध्यम से एक ही व्यक्ति की कई अपीलों की सुनवाईयों का एक ही दिन में निपटारा किया जा सकता है।
- सुनवाईयों का एक ही दिन में निपटारा करने से लंबित पड़े मामलों की संख्या में कमी आयेगी।

7.1.5.2. DoPT द्वारा RTI नियम 2017 का प्रारूप

(BY DoPT - Draft RTI Rules 2017)

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने RTI अधिनियम, 2005 लागू करने हेतु **RTI नियम 2017 का प्रारूप** जारी कर दिया है। नए नियम वर्तमान में प्रचलित RTI नियम 2012 का स्थान लेंगे क्योंकि इन नियमों में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित नहीं थे:

- CIC के आदेशों और निर्देशों के गैर-अनुपालन सम्बंधित स्थिति से निपटने के लिए प्रावधान किया गया हैं ताकि अनुपालन न करने के कारण बढ़ते मामलो से निपटा जा सके।
- नए नियमों के अनुसार सार्वजनिक हित के आदेशों का अनुपालन न करने के मामलों को CIC की एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाएगा। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दी गई है।

लेकिन अभी भी RTI नियमों में निम्नलिखित समस्याएँ बनी हुई हैं:

- **शिकायत और अपील के लिए अलग-अलग प्रारूप -** इसका अर्थ यह है कि अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता अपील और शिकायत एक साथ एक ही प्रपत्र में नहीं कर सकता है। इससे पूरी प्रक्रिया लंबी हो जाती है।
- **अपीलकर्ता के लिखित अनुरोध पर अपील की वापसी -** यह RTI के लिए अत्यंत हानिकारक है। RTI कार्यकर्ताओं पर अपनी अपील वापस लेने के लिए दबाव डाला जा सकता है और उनका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है।
- **यह तय करना CIC पर निर्भर है कि अपील ट्रायल के लिए उपयुक्त है या नहीं-** इसे कठोर उपाय के रूप में देखा जा रहा है। हर अपील की सुनवाई की जानी चाहिए।
- CIC के समक्ष शिकायत दर्ज करने से पहले **शिकायतकर्ता के द्वारा सभी दस्तावेजों और लिखित आवेदनों की अग्रिम प्रतियाँ सार्वजनिक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है-** यह मानक न्यायालयीय प्रक्रिया है किन्तु CIC के मामलों में पूरी तरह से अनुपयुक्त है।
- **प्राथमिक अपीलों पर निर्णय–** प्रारूप नियम प्राथमिक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित व्यक्ति से अलग "किसी अन्य सक्षम व्यक्ति" द्वारा प्रथम अपील का निर्णय किये जाने की संभावना को स्वीकार करता है। यह RTI अधिनियम की धारा 19 (1) का उल्लंघन है।
- प्रारूप नियम शिकायत दर्ज कराने के लिए तो समय-सीमा तय करते हैं किन्तु इसमें सुनिश्चित करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गयी है कि अपील या शिकायत की सुनवाई की सूचना नागरिक तक पर्याप्त समय रहते पहुँच जाए।
- **अनुपालन न करने के मामलों को दूसरे आयुक्त/आयुक्तों के सामने रखना-** CIC को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अनुपालन न करने के मामलों को प्रारंभिक निर्णय देने वाली पीठ से पृथक किसी अन्य पीठ के सामने या फिर किसी बड़ी पीठ के सामने प्रस्तुत करवा सकता है। CIC जैसे प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के मामलों में पीठ द्वारा सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

CIC के बारे में thamयह RTI अधिनियम के तहत निर्मित एक स्वतंत्र निकाय है। यह **एक सांविधिक निकाय** है।

- **सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकारी** आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- RTI अधिनियम, 2005 के अधीन यह अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है और इसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है।

7.1.6. RTI के निष्पादन में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम

(Steps Needed to Improve Performance in RTI)

RTI अधिनिर्णायकों के संबंध में

- इस बात पर व्यापक आम सहमति बनाने की आवश्यकता है कि किसी एक आयुक्त द्वारा प्रति माह कितने मामलों को निपटाया जाना चाहिए।
- आयुक्त द्वारा पदत्याग करने के नियत समय पूर्व ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जानी चाहिए ताकि जैसे ही पिछला आयुक्त पदत्याग करे, नया आयुक्त पदभार संभाल ले।
- अध्ययन में IC की संरचना और प्रक्रिया की समीक्षा की मांग की गई है। आगे, अधिकारियों के प्रशिक्षित वर्ग की सहायता से काम के बोझ को बांटा जाएगा और IC से प्रथम अपील प्रक्रिया को 30 दिनों की अवधि तक सीमित किया जा सकता है।

ARC ने सार्वजनिक अभिलेखों के प्रबंधन की खराब स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रत्येक मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के बजट का 1% हिस्सा इस कार्य के लिए सुनिश्चित करने की अनुशंसा की है।

- पूर्व सूचना आयुक्त **शैलेश गांधी** द्वारा दिए गए सुझाव:
  - सूचना आयुक्तों के चयन के समय, उनसे यह शपथ ली जानी चाहिए कि वे स्वयं ही प्रति वर्ष कम से कम 5,000 मामलों को निपटाने का प्रयास करेंगे।
  - अधिकांश मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक निश्चित पैटर्न का प्रयोग किया जाना चाहिए।
  - इसके लिए पूर्व शर्त यह भी है कि पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराया जाए।
  - साथ ही, आवेदकों को सूचना देने से मना करने स्थिति में, उन्हें क्षतिपूर्ति देकर भी मुकदमों का शीघ्र निपटान किया जा सकता हैं।

नए प्रारूप नियमों के संबंध में

- आवेदक के लिए एक ही याचिका में अपील और शिकायत दोनों ही शामिल करने के लिए प्रावधान होना चाहिए।
- अपीलार्थी/शिकायतकर्ता के लिए प्रतिवादी को अपील की प्रति भेजना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा नहीं भेजे जाने पर, इसे पंजीयन कार्यालय (registry) द्वारा भेजा जाना चाहिए।
- प्रथम अपील के निर्णय का आवश्यक रूप से प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए।
- अग्रिम अपील / शिकायत की सुनवाई की नोटिस हेतु CIC के लिए 15 दिनों की समय सीमा तय की जानी चाहिए।
- **अपील के निपटान के लिए भी समय सी**मा तय की जानी चाहिए।

लोक प्राधिकारियों के संबंध में

- लोक प्राधिकारियों को अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि RTI का क्रियान्वयन, अधिनियम की भावना के अनुसार हो सके। इस प्रकार, उन्हें:
  - सूचना के वितरण के सम्बन्ध में कार्यालयों में व्याप्त कमियों की पहचान करनी चाहिए। उसके बाद आवश्यक संसाधनों और उसके लिए उचित रूप से बजट की आवश्यकता का निर्धारण करना चाहिए।
  - SIC को प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक सूचना का रखरखाव।
  - प्रशिक्षण के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को सहायता प्रदान करना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों, ई-प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना आदि।

7.2. भ्रष्टाचार की रोकथाम

(Prevention of Corruption)

भ्रष्टाचार, भारतीय प्रशासन तथा राजव्यवस्था के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। स्वच्छ शासन के लिए पहले भी कई वायदे किये गए थे। हालाँकि पूर्व की तुलना में वर्तमान स्थिति में कुछ सुधार हुआ है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से भी स्पष्ट होता है। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला I 2015 में भारत इस इंडेक्स में 85वें (2015 में) स्थान पर था जबकि 2016 में यह 79 वें स्थान पर आ गया है । इसी प्रकार CMS-इंडिया करप्शन स्टडी 2017 के अनुसार 2016 तक लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार के मामले 2005 की तुलना में काफी कम हो गए हैं।

हालाँकि निम्नलिखित मुद्दों के कारण इस स्थिति में अभी भी सुधार की आवश्यकता है:

7.2.1. लोकपाल की नियुक्ति में विलंब

(Delay in Appointment of Lokpal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने लोकपाल की नियुक्ति में जानबूझ कर विलम्ब करने के लिए सरकार को फटकार लगाई है।

समस्या की पृष्ठभूमि

- 2013 में ही पारित हो जाने के बाद भी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का क्रियान्वयन अब तक नहीं हो पाया है।
- अधिनियम के अनुसार चयन समिति के सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जायेगा।
- किन्तु लोकसभा में विपक्ष का कोई भी नामित नेता नहीं है क्योंकि कांग्रेस के पास अपेक्षित संख्या नहीं है।
- सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए लोकपाल कानून में संशोधन प्रस्तुत किया।
- किन्तु संशोधन विधेयक 2016 में कई अन्य परिवर्तनों का भी प्रस्ताव था जिन पर आम सहमति नहीं बन पायी थी, जैसे:
  - सरकारी सेवा में सम्मिलित होने के बाद लोक सेवक द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने की 30 दिनों की समय सीमा को हटाना।
  - SC का कहना है कि यदि सरकार कानूनी अड़चन दूर करने में बहुत अधिक समय लगाती है, तो वह स्वयं चयन समिति में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सम्मिलित करने का आदेश देगा।
  - LoP के न होने की स्थिति में, लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त जैसे अन्य उच्च स्तरीय नियुक्ति प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की कुछ विशेषताएं

- केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन - राज्यों को अधिनियम लागू होने की तिथि से 365 दिनों के भीतर लोकायुक्त की स्थापना करनी होगी।
- **संरचना -** लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य सम्मिलित होंगे, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे और लोकपाल के 50% सदस्य SC / ST / OBC, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से शामिल किये जाएंगे।
- **चयन समिति -** लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के CJI या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश तथा चयन समिति के पहले चार सदस्यों की अनुशंसाओं के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले प्रतिष्ठित न्यायविद् से मिलाकर बनने वाली चयन समिति के माध्यम से होगा।
- **लोकपाल का क्षेत्राधिकार -** प्रधान मंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया गया है। FCRA के संदर्भ में विदेशी स्रोतों से 10 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक दान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएं लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाई गई हैं।

VISION IAS

- **CBI के संबंध में शक्ति -** लोकपाल के पास, CBI सहित किसी भी जांच एजेंसी के अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति होगी। यह शक्ति लोकपाल द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों के सम्बन्ध में दी गयी है इसके अतिरिक्त लोकपाल के अनुमोदन के बाद ही लोकपाल द्वारा सौंपे गए मामलों की जांच करने वाले CBI अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है।
- **संपत्ति को संलग्न (Attachment) करना –** इस अधिनियम में अभियोजन लंबित रहने के दौरान भी भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त संपत्ति को संलग्न (अटैच) करने और उसे जब्त करने का प्रावधान शामिल है। यह अधिनियम प्रारंभिक जांच, अन्वेषण और परीक्षण के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करता है।

लोकपाल से संबंधित अन्य मुद्दे

- **संशोधनों के माध्यम से प्रावधानों को कमज़ोर बनाना -** 2016 में पारित विधेयक ने लोक सेवकों के जीवनसाथी और आश्रित बच्चों की परिसंपत्तियों के सार्वजनिक प्रकटीकरण की सांविधिक आवश्यकता समाप्त कर दी थी।
- PCA **के साथ साम्य नहीं -** लोकपाल को पूर्वानुमोदन की जो शक्ति दी गयी थी उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन द्वारा लगभग समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन द्वारा सरकार की अनुमति लेने को आवश्यक बनाया गया है।
- **शक्तियों के पृथक्करण के विरूद्ध -** लोकपाल एक प्रशासनिक समिति (कार्यपालिका का भाग) है,किन्तु इसकी संरचना के सन्दर्भ में यह न्यायपालिका से कार्यपालिका के दायित्वों के निर्वहन की अपेक्षा करने के समान है जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है।
- **राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता -** लोकायुक्त की प्रकृति और स्वरुप का निर्धारण पूरी तरह से राज्य के विवेक पर छोड़ दिया गया है जो विभिन्न समस्याओं को जन्म देता है। उदाहरण के लिए - नियुक्ति में शक्ति का दुरुपयोग जैसे कार्यकाल के बाद की विस्तारित अवधि की समाप्ति के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का अपने पद पर बने रहना।
- **लोकपाल का दायरा -** न्यायपालिका को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

आगे की राह

- जहां संसद द्वारा लोकपाल विधेयक पारित कर दिया गया है, वहीं इसे प्रभावी बनाने के लिए अभी भी कई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जैसे कि:पारित विधेयक का प्रभावी कार्यान्वयन।अन्य सहायक विधेयकों को पारित करना जो भ्रष्टाचार निवारण को संबोधित करे जैसे कि सिटिज़न चार्टर और इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवा वितरण, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण, न्यायिक जवाबदेही आदि।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोकपाल की संस्था प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार आदि से संबंधित दैनंदिन शिकायतों में न डूब जाए, कठोर दिशानिर्देश और मानदंड तय करने की आवश्यकता है।

7.2.2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी

(Prior Sanction in Section-19 of Prevention of Corruption Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अदालत द्वारा लोक सेवकों के विरुद्ध जांच शुरू करने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता वाले अपने पूर्व के निर्णय को बरकरार रखा है।

अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत पूर्व मंजूरी

- यदि किसी अधिकारी को हटाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है तो यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है।
- यदि किसी अधिकारी को हटाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है तो यह राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
- अन्य लोक सेवकों के मामले में, यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाती है।

पृष्ठभूमि

- अधिनियम की धारा 19 सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना लोक सेवक द्वारा किये गए किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए न्यायालय पर प्रतिबन्ध लगाती है।
- यह प्रतिबन्ध, मुकदमे (trial) के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के विरुद्ध है।

- किन्तु धारा 19 के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू करने या CrPC की धारा 156 (3) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जांच प्रारंभ करने पर कोई निषेध नहीं है।

पूर्व के निर्णयों का कालक्रम

- **1951 – आर. आर. चारी बनाम राज्य वाद –** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि CrPC की धारा 156 (3) के अंतर्गत जांच के लिए मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं हैं।
- **1998 - राजस्थान राज्य बनाम राज कुमार वाद–** उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय को बनाए रखा जिसके अनुसार CrPC की धारा 173 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल करने से पहले मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।
- **2013 - अनिल कुमार बनाम एम. के. अयप्पा वाद–** उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को बनाए रखा कि धारा-19 प्रारंभिक स्तर पर ही लागू हो जाती है और CrPC की धारा 156(3) के अंतर्गत जांच के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है।
- **2014 - सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ वाद-** दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6A में निहित पूर्व अनुमति की आवश्यकता को असंवैधानिक बना दिया गया।
- **2016 – एल. नारायण स्वामी बनाम राज्य प्रकरण –** उच्चतम न्यायालय ने 2013 के निर्णय को बनाए रखा।
- **2016 – एन.सी. शिवकुमार बनाम राज्य** में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि 2016 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने बड़ी पीठों द्वारा प्रतिपादित किए गए पूर्व के निर्णयों के स्थापित सिद्धांतों को नजरअंदाज किया है।

शामिल मुद्दे

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के उद्देश्य हैं -
- ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की झूठी शिकायतों से रक्षा करने के लिए सरकार के दायित्व को सुनिश्चित करना।
- लोक सेवकों को सुशासन के लिए डर या उत्पीड़न के बिना निर्णय लेने की अनुमति देना।
- पूर्व मंजूरी का प्रावधान भ्रष्ट लोक सेवकों की रक्षा करता है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही के विरुद्ध है।
- उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 की स्थिति और पूर्व मंजूरी के सन्दर्भ में भ्रम की स्थिति पैदा की है। यह सुशासन के प्रतिपादन के लिए एक बड़ा आघात हो सकता है।
- इस तरह के निर्णय लोक प्रशासन और न्यायपालिका पर जनता के विश्वास को भी कम कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2016 - पूर्व मंजूरी पर विवादास्पद प्रावधान

- आधिकारिक पद पर रहते हुए किसी लोक सेवक द्वारा लिए गए निर्णयों या की गई अनुशंसाओं पर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की लोकपाल या लोकायुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना जांच नहीं की जाएगी।
- पूर्व मंजूरी सेवानिवृत्त अधिकारियों तक विस्तारित होगी।

अब नागरिक भी इन मुद्दों के निराकरण में सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहे है। उदाहरण के लिए- प्रबुद्ध नागरिकों के समूह द्वारा **सिटीजन व्हिसलब्लोअर फोरम** (CWF) की स्थापना की गयी है, यह फ़ोरम एक ऐसे मंच के रूप में काम करेगा, जहां व्हिसलब्लोअर लोग खुलासा कर सकेंगे, जिसकी बाद में जांच की जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। संसद ने 2011 में ही व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर दिया था किन्तु अभी तक इस एक्ट को सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। इसी कारण से इस फोरम की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गयी। इस फोरम के संस्थापक सदस्यों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भूतपूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, सामाजिक कार्यकर्त्ता इत्यादि शामिल हैं।

एक आपराधिक न्याय प्रणाली की सफलता के लिए यह अनिवार्य शर्त (sine qua non) है कि आपराधिक जांच प्रक्रिया कार्यपालिका से स्वतंत्र हो। मुख्यतः भ्रष्टाचार संबंधी मामलों मे निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अतः उच्चतम न्यायालय को इन मामलों में सम्बंधित विसंगतियों को दूर करने के लिए शीघ्र ही उचित कदम उठाने चाहिए।

7.3. बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016

(Benami Transactions [Prohibition] Amendment Act, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 1 नवंबर, 2016 से प्रभावी हो गया है।
- इसके बाद, मौजूदा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम को बेनामी संपत्ति का लेनदेन निषेध अधिनियम (PBPT Act) के नाम से जाना जाएगा।

पृष्ठभूमि

- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 में उचित कार्यान्वयन तंत्र की कमी, अपीलीय तंत्र का अभाव, जब्त संपत्ति को अधिकृत करने के लिए केंद्र के पास किसी प्रावधान का न होना जैसी कई कमियाँ थीं।
- वर्तमान सरकार ने जुलाई 2016 में संसद में बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। यह विधेयक अब संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है और 1 नवंबर 2016 से प्रभाव में आ गया है।

विधेयक की विशेषताएं

- **उद्देश्य:** मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में बेनामी धन को स्थान देना तथा बेनामी संपत्तियों को ज़ब्त करना है तथा उन लोगों को दण्डित करना है जो इन संपत्तियों में शामिल रहे हैं।
- अधिनियम बेनामी लेनदेन को परिभाषित करता है, उसका निषेध करता है और PBPT अधिनियम के उल्लंघन के लिए 7 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान करता है।
- यह वास्तविक स्वामी द्वारा बेनामीदार से उस संपत्ति की पुनर्प्राप्ति पर भी प्रतिबन्ध लगाता है जिसे बेनामी संपत्ति घोषित किया गया है।
- सरकार द्वारा बेनामी घोषित की गई संपत्ति को बिना मुआवज़े का भुगतान किये ज़ब्त किया जा सकता है।
- **निर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण** के रूप में PBPT अधिनियम के तहत एक अपीलीय तंत्र की व्यवस्था की गई है।
- निर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण को मनी लांड्रिंग निषेध अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों की समान तर्ज़ पर अधिसूचित किया गया है।

महत्व

- इस कानून का देश में रियल एस्टेट उद्योग पर दीर्घकालिक प्रभाव होगा।
- यह संपत्ति लेनदेन में सही नाम शामिल करने के व्यवहार को बढ़ाएगा और परिणामस्वरुप आवासीय बाजार में पारदर्शिता आएगी।
- कठोर कानून रियल एस्टेट की कीमतों को भी नीचे लाएंगे क्योंकि इस तरह के लेनदेन अक्सर नकदी से संपन्न निवेशकों द्वारा किये जाते हैं ताकि वे रियल एस्टेट में अपनी बेनामी संपत्ति को ठिकाने लगा सके।
- यह ऋणदाता बैंकों और आम नागरिकों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा।

8. शासन

(GOVERNANCE)

8.1. पुराने कानूनों का निरसन

(Repeal of old statute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संसद द्वारा पिछले 3 वर्षों में ही 1200 पुराने अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1800 अन्य कानूनों की भी पहचान कर ली गयी है जिन्हें समाप्त कर दिया जाएगा ।

पुराने कानूनों की पहचान

- भारतीय विधि आयोग ने 2014 में चार रिपोर्ट्स (248वीं, 249वीं, 250वीं, 251वीं) तैयार की हैं। इनमे उन पुराने कानूनों की पहचान की गयी है जिन्हें निरस्त किया जा सकता है।
- अप्रासंगिक, अनावश्यक या ऐसे केन्द्रीय कानूनों, जिन्हें निरस्त/पुनः अधिनियमित करने की आवश्यकता है, की पहचान करने के लिए **आर. रामानुजम** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया ।
- रामानुजम समिति के अनुसार 15 अक्टूबर, 2014 को 2781 केन्द्रीय अधिनियम अस्तित्व में थे। इनमें से 1741 अधिनियमों को इस समिति ने रद्द करने का सुझाव दिया। इन 1741 अधिनियमों में से 340 केन्द्रीय अधिनियम राज्य सूची के विषयों पर थे जिन्हें सम्बन्धित राज्य विधायिकाओं द्वारा रद्द किया जाना था।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

- पुराने कानूनों को समाप्त करने का निम्नलिखित उद्देश्य है:
  - विधि की पुस्तकों को अपडेट करना और सरल बनाना।
  - इनका आकार कम करना ताकि वकीलों और अन्य उपयोगकर्ताओं के समय की बचत हो सके।
- इसके द्वारा अनावश्यक लागतों को कम करने में सहायता मिलती है।

इसके अतिरिक्त, विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की अधिकता, प्रशासन की दक्षता में बाधा उत्पन्न करती हैं। ऐसे पुराने अप्रासंगिक कानून निम्न प्रकार से सामान्य जनता में भ्रम और कठिनाइयों पैदा करते हैं:

- **भ्रष्टाचार –** नीति आयोग के विशेषज्ञ बिबेक देबरॉय के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि भारत में 1830 के दशक के 6 केन्द्रीय कानून, 1850 के दशक के 34 और औपनिवेश युग के अन्य कई अधिनियम वर्तमान में भी प्रचलित हैं। अध्ययन में 1867 के सराय अधिनियम का उल्लेख किया गया है जिसमें राहगीरों के लिए निशुल्क जल व्यवस्था को अनिवार्य बनाया गया था। इस अधिनियम के आधार पर दिल्ली नगर निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा कथित रूप से फाइव स्टार होटलों को रिश्वत देने के लिए विवश किया गया था।
- **देरी और अक्षमता –**भारतीय नौकरशाही में, ब्रिटिश शासन की अवधि में बनाई गयी सेवा शर्तें, आचरण आदि से सम्बन्धित अनेक नियम विद्यमान हैं। ये नियम सरकारी कार्य के संचालन की स्वतंत्रता, त्वरित निर्णय लेने और प्रभावी सेवाओं के वितरण में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
- **व्यापार करने में सुगमता**–उद्योगों को विनियमित करने के लिए *भारतीय बायलर अधिनियम* जैसे पुराने कानून सभी बायलरों की निगरानी को अधिदेशित करते हुए इंस्पेक्टर राज को स्थापित करते है। जबकि दूसरी ओर सही दृष्टिकोण तो यह होगा कि गुजरात की तर्ज पर स्व:प्रमाणीकरण को आवश्यक बनाया जाए ।
- **नागरिक और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध** – द यंग पर्सन्स (हार्मफुल पब्लिकेशन्स) एक्ट जैसे अस्पष्ट कानून, 'युवाओं' के लिए कुछ हानिकारक प्रकाशनों के प्रसार को प्रतिबंधित करते हैं। सरकार द्वारा इनका उपयोग करते हुए मारिजुआना के उपभोग को कम करने के उद्देश्य से बॉब मार्ले की टी-शर्ट बेचने वाली दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी प्रकार से IPC का अनुच्छेद 124-A, भी एक औपनिवेशक विरासत है जिसका प्रयोग व्यक्तियों के लोकतान्त्रिक अधिकारों का हनन करने के लिए किया जा सकता है।

VISION IAS

- **अनावश्यक उपकर और कर –** अधिकाँश उपकर अप्रभावी और महंगे है। ये शायद ही कभी अपने आरोपण के प्रयोजन को पूरा करते है। इनके माध्यम से प्राप्त की गई राजस्व राशि अत्यधिक कम होती है। उदाहरण के लिए नमक कर से 2013 में 3.3 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था जबकि उसके संग्रह करने की लागत 1.5 करोड़ रूपये थी।
- **मुकदमेबाजी और न्यायिक विलम्ब -** अस्पष्ट भाषा और खराब प्रारूपण के कारण मुकदमेबाजी, व्यक्तिनिष्ठ व्याख्याओं और न्यायिक विलम्ब की समस्या उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह:

श्रम सुधारों की भांति, पुराने कानून भी सदैव केंद्र सरकार के स्तर पर ही नहीं होते हैं। राज्य सरकारों के स्तर पर भी कई पुराने कानून विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान ने हाल ही में 60 से भी अधिक कानूनों को निरस्त कर दिया। इसी प्रकार के प्रयास अन्य राज्य सरकारों के स्तर पर भी किये जा रहे हैं।

8.2.NGOs से सम्बंधित मुद्दें

(Issues Related to NGOs)

8.2.1. NGOs का विनियमन

(Regulation of NGOs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सभी NGO को गृह मंत्रालय के अधीन लाने का प्रस्ताव आया था।
- वर्तमान समय में गृह मंत्रालय **FCRA** के द्वारा NGOs और अन्य संस्थाओं को मिलने वाले दान की निगरानी करता है। परन्तु, **प्रभावशाली निगरानी** के लिए मंत्रालय चाहता है कि वित्त मंत्रालय FEMA के अंतर्गत NGOs की निगरानी करने की अपनी शक्तियाँ उसे सौंप दे क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय दानी संस्थाएं जैसे फोर्ड फाऊंडेशन, UK का अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसधान केंद्र का पंजीकरण FEMA के अंतर्गत किया गया है।
- देश में कार्यरत कुल 29.99 लाख NGOs को मिलने वाले धन को नियमित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय भारत के विधि आयोग से एक प्रभावशाली कानून लाने के लिए कहने जा रहा है।

विनियमन की आवश्यकता

- इंटेलीजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट "विदेशी धन-प्राप्त कुछ चुनिन्दा NGOs द्वारा देश भर में चल रहे भारतीय विकास परियोजनाओं को बाधित करने का संगठित प्रयास," में वर्ष 2014 में आरोप लगाया गया कि कई कथित विदेशी सहायता प्राप्त पर्यावरण NGOs पूरे देश की विकास परियोजनाओं को लक्षित कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों के कारण GDP के लगभग 2% तक की हानि हुई है।
- सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज किये गये CBI रिकार्ड्स से पता चलता है कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कुल 29,99,623 NGOs में से केवल 2,90,787 ही अपना वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट्स दर्ज कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 82,250 NGOs में से केवल 50 ही अपना रिटर्न फाईल कर रहे हैं।
- NGOs पूरे विश्व से धन प्राप्त कर रहे हैं और इनमें कुछ शत्रु देश भी सम्मिलित हो सकते हैं।
- स्वतंत्र विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि NGOs द्वारा FCRA का उल्लंघन करते हुए लगभग 6000 करोड़ रुपये की धनराशि नकद या उसके समतुल्य अन्य रूपों में एकत्रित की गयी है I इस धन का इस्तेमाल रियल एस्टेट में संपत्तियों के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण के लिए किया गया है।
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने NGOs के "प्रतिनिधि वादकारी"(proxy litigant) और कम्पनियों के परस्पर विवाद या व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने हेतु एक मोहरा बनने पर चिंता व्यक्त की है।

VISION IAS

सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 (FCRA 2010) के तहत, 33,000 NGOs में से लगभग 20,000 का लाइसेंस सरकार द्वारा रद्द कर उन्हें विदेशी धन प्राप्त करने से रोक दिया गया है।
- स्वतंत्र विश्लेषण से पता चला है कि गैर सरकारी संगठनों ने FCRA के उल्लंघन द्वारा लगभग 6000 करोड़ रुपए नकद और नकद समकक्ष संकलित किया है और कई अचल संपत्तियों का अधिग्रहण किया है।
- आवेदक के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड तथा NGOs के आतंरिक अभिशासन एवं नैतिक मापदंडों का मूल्यांकन करना ।
- स्वतंत्र थर्ड पार्टीज़ द्वारा उनके परिणामों का मूल्यांकन तथा CAG द्वारा परफॉरमेंस ऑडिट।
- सरकार द्वारा खातों के प्रबंधन के तरीके को भी निर्धारित किया गया है ।
- यदि वे CBI द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से अपनी बैलेंस शीट जमा नहीं कर पाते है तो रिकवरी के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। अब तक कुल 32 लाख NGOs में से केवल 3 लाख NGOs ने सरकार को अपनी बैलेंस शीट्स फाइल की हैं।
- सरकार अब न सिर्फ पहले की तरह ऐसे NGOs को ब्लैकलिस्ट करेगी, बल्कि धन की चोरी के लिए उनपर दीवानी मुकदमा दर्ज करने के लिए भी कदम उठाएगी।
- इसके साथ ही आपराधिक अभियोग हेतु प्रक्रिया में आयकर प्राधिकरणों की भी सहायता ली जायेगी।

NGOs का तर्क:

- कुछ वर्ष पूर्व FCRA के अंतर्गत पंजीकरण करवाना सरल था, यह अब अत्यंत कठोर हो गया है।
- जहाँ तक धन-प्राप्ति की बात है, बड़े NGOs के समक्ष प्राय: कोई समस्या नहीं आती है, परन्तु छोटे NGOs के लिए यह कठिन होता है।
- अनेक NGOs ऐसे हैं, जिनका अस्तित्व केवल कागजों पर ही होता है। इस प्रकार के NGOs ने अन्य को बदनाम किया है, इसलिए कई क्षेत्रों में धन प्राप्ति के स्रोत्र समाप्त हो गये हैं।

आगे की राह:

- कोई भी व्यक्ति एक सोसाइटी का पंजीकरण करवा कर एक NGO का गठन कर सकता है। इसलिए एक उपयुक्त कानून की आवश्यकता है।
- सभी NGOs को FCRA के अधिनियम और नियमों के बारे में तथा जब विदेश से धन प्राप्त हो तो इनके प्रावधानों के पालन करने के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- जो संस्थाएं केवल भारत की राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से विरोध उत्पन्न करने में लिप्त पाई जाती हैं, उन्हें चयनित रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- सरकार और सिविल समाज के मध्य व्याप्त विश्वास की कमी को समाप्त करने के लिए NGOs में धन का दुरूपयोग, पारदर्शिता का अभाव और जवाबदेही जैसे मुद्दों का त्वरित समाधान आवश्यक है।
- सभी NGOs को देश के कानून का सम्मान करना चाहिए, पारदर्शिता बनाये रखनी चाहिए तथा संदेह से परे रहना चाहिए।
- जिस तरह नीति आयोग द्वारा प्रमुख मंत्रालयों तथा सिविल सोसायटी के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है वैसे ही प्रक्रिया NGOs के साथ अपनाकर सहयोगात्मक सम्बन्ध निर्मित किये जाने चाहिए। यह संसाधनों के बेहतर उपयोग, नवोन्मेषी उपायों, सेवा के वितरण में सुधार तथा समावेशी संवृद्धि में सहायक होगा।

हमें यह समझ लेना चाहिए कि सामाजिक विकास के लिए NGOs एक अपरिहार्य साधन बन गये हैं। स्वयं-सेवी क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति में इसे आलोकित किया गया है। विभिन्न SHGs (स्वयं सहायता समूह), सरकारी योजनाओं और कानून जैसे FRA, CAMPA और EIA आदि की सफलता का श्रेय NGOs को ही जाता है। इसलिए इन्हें कारगर बनाने से देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति, 2007

इसके उद्देश्य हैं:

- स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण करना जो उनकी कार्यकुशलता को बढ़ा सके तथा उनकी स्वायत्तता की रक्षा कर सके।
- स्वयंसेवी संस्थाओं को भारत तथा विदेश से आवश्यक वित्तीय संसाधनों के वैध एकत्रीकरण हेतु सक्षम बनाना।
- एक ऐसे तंत्र की पहचान करना जिसके माध्यम से सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर साझे विश्वास तथा सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर तथा साझे उत्तरदायित्व के साथ कार्य कर सके ।
- स्वयंसेवी संस्थाओं को अभिशासन तथा प्रबंधन के पारदर्शी एवं उत्तरदायी तंत्र को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

8.2.1.1. FCRA अधिनियम के तहत गैर-सरकारी संगठनों का विनियमन

(Regulation of NGOs under FCRA Act)

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), NGOs द्वारा प्राप्त विदेशी वित्तीय सहायता को विनियमित करता है। FCRA के अनुसार, यदि किसी NGO को पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत रखा गया है, तो गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना वह विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है। इस अधिनियम से सम्बन्धित कुछ अन्य मुद्दे निम्नलिखित हैं-

- **कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग-** सरकार ने कई NGOs के लाइसेंस को रद्द कर दिया है जिसे NHRC द्वारा भी पक्षपातपूर्ण बताया गया है।
- **असहमति पर मनमाने तरीके से रोक-** इसका उपयोग सरकार द्वारा विपक्ष और मानवीय जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकारों की मांग करने वाले समूहों के विरोध या असहमति का दमन करने के लिए किया जा सकता है।
- **मानवाधिकारों का मुद्दा-** इस कदम से विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाले NGOs द्वारा दशकों से भारतीय नागरिकों को प्रदान की जा रही आधारभूत बुनियादी सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। इस रूप में संशोधित FCRA मानवाधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं-** भारत, संगठन बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देने वाले 'इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट' का हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- **FEMA और FCRA-** वर्तमान में गृह मंत्रालय FCRA के माध्यम से NGOs और विभिन्न संगठनों द्वारा विदेशों से प्राप्त धन पर निगरानी रखता है। लेकिन प्रभावी निगरानी के लिए FEMA (वित्त मंत्रालय के अधीन) के अंतर्गत पंजीकृत NGOs को भी निगरानी के दायरे में लाने की आवश्यकता हैं। क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता जैसे फोर्ड फाउंडेशन, कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र आदि इसके तहत पंजीकृत हैं।

इस विनियमन के लिए सरकार का तर्क

- **लोक सेवक-** ऐसा कोई भी संगठन, ट्रस्ट या NGO जो 10 लाख रुपये की विदेशी सहायता या 1 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता प्राप्त करता है, लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 के अनुसार "लोक सेवक " की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
- **संप्रभुता की रक्षा-** सरकार का मानना है कि इससे घरेलू राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा। जिससे देश की संप्रभुता सुरक्षित रहेगी।
- **निधियों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा -** इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ आतंकवादी संगठनों को भी इस मार्ग से धन पहुंचाया जा रहा है। इस विनियमन के द्वारा ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है।

उपर्युक्त मुद्दों को हल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए

- **वैध प्रतिबंध-** संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। राज्य "सार्वजनिक हित" और "आर्थिक हित" का ध्यान रखते हुए अपने विवेक के आधार पर संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है।

VISION IAS

- ***नेशनल एक्रेडिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया-*** भ्रष्ट और संदिग्ध NGOs की *मनी लॉन्ड्रिंग* जैसी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक स्वायत्त और स्व-विनियमन पर आधारित संस्था की स्थापना की जानी चाहिए।
- वित्तीयन के मात्र एक स्रोत पर रोक लगायी गयी है- FCRA को रद्द करने का आशय मात्र इतना है कि NGOs विदेशी धन की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। यह NGOs के अस्तित्व को समाप्त नहीं करता है।
- 2015 में शुरू की गयी FCRA-PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाले NGOs के बैंक खाते *कोर बैंकिंग* सुविधा वाले संस्थान में होने चाहिए ताकि RBI और MHA को विदेशी अनुदान हस्तांतरण का निरंतर अपडेट मिलता रहे।

FCRA

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। यह अनिवासी भारतीयों से प्राप्त सभी अनुदान, उपहार और दान को नियंत्रित करता है। सभी योग्य NGOs को विदेश से अनुदान एक प्राधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना चाहिए।

इस अधिनियम में 2010 में संशोधन किया गया और निम्नलिखित तीन मुख्य बदलाव लाए गए :

- FCRA पंजीकरण प्रत्येक 5 साल बाद समाप्त हो जाएगा और इसका नए सिरे से नवीनीकरण कराना होगा। हालाँकि इससे पूर्व पंजीकरण के नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती थी।
- अब किसी संगठन को प्राप्त होने वाले कुल विदेशी अनुदान के (50%) प्रशासनिक कार्य हेतु व्यय के अनुपात को निर्धारित कर दिया गया है। इस प्रकार सिविल सोसाइटी के व्यय पर नियंत्रण स्थापित किया गया है।
- नए कानून के अंतर्गत केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि " राजनीतिक प्रकृति के संगठन" भी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। उपर्युक्त संशोधनों के संबंध में यह चिंता व्यक्त की गई है कि इससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कार्य करने वाले NGOs को समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

8.3. आपराधिक न्याय प्रणाली

(Criminal Justice System)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली विश्व में सबसे जटिल, दुरूपयोग की गयी और शिथिल प्रणालियों में से एक है। यहाँ दोषसिद्धि की दर अत्यंत कम, मामलों के दशकों तक लंबित रहने की प्रवृत्ति तथा संपन्न एवं ताकतवर वर्गों की ओर झुकाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

आपराधिक न्याय प्रणाली के घटक

आपराधिक न्याय प्रणाली को तीन घटकों में बाँटा जा सकता है:

- **कानून का प्रवर्तन:** कानून प्रवर्तन एजेंसी अपराधों की रिपोर्ट दर्ज़ करती है। यह अपराधों की जांच और साक्ष्य एकत्र करने के लिए भी जिम्मेदार है। भारत में इसके अंतर्गत पुलिस बल को शामिल किया जाता है।
- **अधिनिर्णयन:** इसके अंतर्गत न्यायिक कार्यवाहियों को शामिल किया जाता है। इसे तीन भागों में बाँटा जा सकता है:
  - **अभियोजन:** अभियोक्ता वे वकील होते हैं जो अभियुक्त के पहली बार अदालत में पेश होने से लेकर उसकी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया में अदालत में राज्य का पक्ष रखते हैं। वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लाये गए साक्ष्यों की समीक्षा के उपरांत यह निर्णय करते हैं कि उन्हें आरोप लगाने हैं या केस ख़ारिज करना है और तत्पश्चात उन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
  - **बचाव पक्ष के वकील:** वे सरकार द्वारा लगाये गए आरोपों के खिलाफ आरोपी की रक्षा करते हैं। या तो वे अभियुक्त द्वारा नियुक्त किये जाते हैं या न्यायालय द्वारा नियुक्त किये जाते हैं (यदि अभियुक्त स्वयं कोई वकील निर्धारित करने में असमर्थ है)।

- **न्यायालय:** न्यायालयों को न्यायाधीशों द्वारा संचालित किया जाता है, जो कानून का पालन सुनिश्चित करते हैं साथ ही अदालत में क्या हो रहा है इसकी निगरानी भी करते हैं।
- **सुधारगृह एवं बंदीगृह:** दोषसिद्ध अपराधी जब जेल में या सामुदायिक परिवीक्षा में या पैरोल पर होते हैं तब ये उनकी निगरानी करते हैं।

भारत में वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली के समक्ष चुनौतियां

- देरी और अनिश्चितताओं की वजह से यह अपराधियों में दंड के संबंध में कोई भय उत्पन्न नहीं करती।
- दोषी लोगों को प्रदत्त दंड अप्रभावी रहा है।
- पुलिस और अभियोजन पक्ष के विस्तृत विवेकाधिकारों के कारण संपूर्ण प्रणाली भ्रष्टाचार और अनियमितता का शिकार बन गयी है ।
- वास्तविक उत्पीड़ित व्यक्ति की उपेक्षा के कारण उन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए कानून से इतर माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है।
- राज्य को बिना किसी लाभ प्राप्ति के भारी आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ता है।
- लगभग 3 करोड़ आपराधिक मामलों के लंबित होने तथा हर साल इसमें 1 करोड़ मामलों के और जुड़ जाने से व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ पड़ गया है।

सुधार के लिए रणनीति

- भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर गठित समिति (2003) ने त्रिआयामी रणनीति अपनाने का सुझाव दिया है।
- सर्वप्रथम समाज और अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियात्मक और मौलिक कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है। निरपराधीकरण और आपराधिक मनोवृत्ति वाले लोगों को दूसरे उत्पादक कार्यों में लगाना इन बदलावों का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।
  - इसके अंतर्गत एक अन्य सुझाव दंड संहिता को- सामाजिक अपराध संहिता, सुधारक अपराध संहिता, आर्थिक अपराध संहिता और भारतीय दंड संहिता के रूप में चार अलग- अलग कोड में विभाजित करना हो सकता है।
  - सामाजिक संहिता में सिविल प्रकृति के मामले होते हैं, जिन्हें बिना पुलिस के हस्तक्षेप के भी हल किया जा सकता है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सजा की अवधि तय की जा सकती है।
  - सुधारक संहिता (correctional code) के अंतर्गत अपराध के लिए तीन साल के कारावास का प्रावधान है। ऐसे मामलों में अपराध दंड मोलभाव (Plea-bargaining) के सिद्धांत को उदारतापूर्वक लागू किया जा सकता है।
  - आर्थिक संहिता के अंतर्गत ऐसे अपराध शामिल होते हैं जिनका संबंध संपत्ति संबंधी अपराधों से है; इनका प्रभाव देश की वित्तीय स्थिरता पर पड़ सकता है। इन अपराधों से आपराधिक और प्रशासनिक रणनीतियों के संयुक्त माध्यम से निपटा जा सकता है।
  - भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत केवल बड़े अपराध शामिल होंगे, जिनमें दस साल या उससे अधिक सजा या मृत्यु की सजा का प्रावधान हो।
- दूसरी रणनीति पुलिस प्रक्रियाओं में संस्थागत सुधार से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रतिबद्ध रूप से जांच, व्यवसायिकता, प्रौद्योगिकी के माध्यम से अदालती प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने और अपील संबंधी औपचारिकताओं को न्यूनतम करना शामिल है।
- तीसरी रणनीति पूरी प्रक्रिया में उत्पीड़ित व्यक्ति को अधिक व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व प्रदान करने को लेकर है।
  - इसके अंतर्गत उत्पीड़ित व्यक्ति की व्यवस्था में विश्वास बहाल करना शामिल है।
  - उत्पीड़ित को कार्यवाहियों में भागीदारी करने का, वकील नियुक्त करने का, मामले की प्रगति के बारे में जानने का तथा न्यायालय को सच्चाई तक पहुँचने में सहयोग देने का अधिकार दिया जाना भी इन सुधारों का हिस्सा हैं।
  - न्यायिक कार्यवाही के अंतिम परिणाम की परवाह किए बगैर चोटों के लिए मुआवजा पाने का अधिकार।
  - ऐसे पुनर्स्थापक साधनों के माध्यम से जिन्हें समाज का भी समर्थन प्राप्त हो उत्पीड़क को उसके दायित्वों का बोध करा कर उत्पीड़ित को संतुष्टि प्रदान की जानी चाहिए।

VISION IAS

8.4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

(Corporate Social Responsibility-CSR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्राइम डाटाबेस ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कंपनियों द्वारा किये गए CSR व्यय को जारी किया।
- रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों ने 2015-16 में CSR परियोजनाओं पर 9309 करोड़ रुपये खर्च किए, जोकि कानून द्वारा निर्धारित राशि की तुलना में 163 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष की तुलना में 703 करोड़ रुपये अधिक है।

CSR कानून से सम्बंधित समस्याएं

- अधिकांश व्यय कंपनियों के पसंदीदा क्षेत्रों में किया गया है। कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित नौ विभिन्न कार्यक्रमों में से दो कार्यक्रमों: **विभिन्न रोगों से मुकाबला (combating various diseases)** और **शिक्षा को प्रोत्साहन (promotion of education)** पर कुल CSR खर्च का 44% व्यय किया गया है।
- भौगोलिक समानता का भी मुद्दा है। कुल CSR व्यय का 25% से अधिक हिस्सा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु जैसे 5 राज्यों में खर्च किया गया है, जबकि पूर्वोत्तर के राज्य ज्यादातर उपेक्षित ही रहे हैं।
- ऐतिहासिक रूप से CSR व्यय को कभी दर्ज नहीं किया गया, अतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इस कानून के प्रभाव में आने के बाद से CSR खर्च में वृद्धि हुई है या कमी। जैसे हो सकता है कि पहले कोई कंपनी अपने लाभ का 2% से अधिक स्वेच्छा से खर्च करती रही हो, परन्तु अब सिर्फ अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मात्र 2% ही खर्च करती हो अथवा इसके ठीक विपरीत होता हो।
- ऐसे सबूत हैं, जिनसे पता चलता है कि CSR खर्च से कंपनियों के लाभ में वृद्धि हुई है क्योंकि CSR के परिणामस्वरूप कंपनियों का ब्रांड निर्माण, कर्मचारियों की कार्यकुशलता और सार्वजनिक संबंधों में वृद्धि हुई है। इससे विपणन और उत्पादों के प्रचार में खर्च होने वाले विशाल धन की बचत होती है।
- चूँकि CSR एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जोकि कंपनियों के लिए लाभ उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए CSR कानून को कॉर्पोरेट टैक्स में वृद्धि करने के एक अप्रत्यक्ष तरीके के रूप में देखा जा सकता है, जोकि पहले से ही विश्व में सर्वाधिक है (KPMG के अनुसार भारत-34.61%, विश्व औसत- 24.09%,)। यह उच्च दर न केवल भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम प्रतिस्पर्धी बनाती है, अपितु भारत में विदेशी निवेश को बाधित भी करती है।
- हालांकि, CSR कानून, कंपनियों को उनके लाभ का एक हिस्सा कुछ पहलों पर खर्च करवा कर सामाजिक कल्याण की दिशा में योगदान देने के लिए मजबूर करता है, लेकिन यह उन पहलों के परिणामों को महत्त्व नहीं देता है।
- मुख्य रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में सुव्यवस्थित गैर सरकारी संगठन (NGOs) अनुपलब्ध हैं, जोकि समुदाय की वास्तविक जरूरतों की पहचान और आकलन कर सकते हैं तथा CSR गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
- एक अन्य कारण यह है कि CSR परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न स्थानीय एजेंसियों के बीच आम सहमति की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनियों द्वारा किये गए प्रयासों का दोहराव होता है। यह स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच मुद्दों पर सहयोगात्मक दृष्टिकोण के निर्माण के बजाय उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना को जन्म देता है।
- CSR कानून, भुखमरी और गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक व्यवसाय परियोजनायें जैसे कुछ ही कार्यों को सूचीबद्ध करता है, जोकि कानूनी परिभाषा के दृष्टिकोण से अस्पष्ट है।
- CSR गैर-अनुपालन के मामले में दंड या प्रवर्तन तंत्र के बारे में बात नहीं करता।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत महत्वपूर्ण CSR प्रावधान,

- कम से कम 5 करोड़ का निवल लाभ या 1000 करोड़ रुपए का कारोबार या 500 करोड़ की निवल संपत्ति वाली कंपनियों पर CSR लागू होता है।

- कंपनियों को वर्ष 2014-15 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने 3 साल के औसत वार्षिक निवल लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना होगा।
- CSR सूची में शामिल गतिविधियां हैं - **रोजगार वृद्धि, ग्रामीण विकास परियोजनायें, निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता, उन असमानताओं को कम करना जिनका सामना सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समूह कर रहें हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, खेलों को बढ़ावा देना** आदि।

आगे की राह

- CSR पहलों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आम जनता के बीच CSR के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। इसके लिए विभिन्न हितधारकों जैसे सरकार, कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, मीडिया और स्वंय लोगों को शामिल किया जाना चाहिए।
- कंपनियां CSR हेतु एक राष्ट्रीय गठबंधन के निर्माण का प्रयास करके, उनके कार्यों के दोहराव के मुद्दे पर काबू पा सकती हैं। विभिन्न औद्योगिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस गठबंधन को व्यापक विकास के एजेंडे को अपनाना चाहिए और गरीबों एवं वंचितों को उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।
- कार्पोरेट घरानों को अपने व्यवसाय और सामाजिक चिंताओं के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन स्थापित करने में सहायता हेतु CSR की भूमिका तथा सामाजिक और विकास के मुद्दों के बारे में छात्रों को जागरूक करने के लिए एक विषय या अभ्यास के रूप में CSR को बिजनेस स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए।
- अन्त में, सरकार द्वारा ऐसी कॉर्पोरेट फर्मों और अन्य हितधारकों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए जो गरीबों और वंचितों को प्रभावी ढंग से शामिल करने वाली CSR परियोजनाओं को लागू करते हैं।

8.5. खेल प्रशासन

(Sports Governance)

भारतीय खेल प्रशासन को विभिन्न मुद्दों का का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए विभिन्न खेल निकायों से सुधारों की मांग उठती रही है। इनमें से कुछ मांगे इस प्रकार हैं:

- **राष्ट्रीय खेल संहिता में संशोधन :** लोढ़ा समिति की सिफारिशों के पश्चात् अन्य खेल निकायों में राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, अक्षमता को कम करने हेतु राष्ट्रीय खेल संहिता में संशोधन की मांग उठती रही है। सरकार ने इसके लिए एक समिति गठित की है।

- **ओलम्पिक खेलों के लिए संरचित तैयारी:** केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने 2020 और 2024 ओलम्पिक खेलों के लिए सम्भावित पदक सम्भावनाओं की पहचान और सहायता के लिए टारगेट ओलम्पिक पोडियम समिति का गठन किया है।
- **जमीनी स्तर की प्रतिभा का प्रोत्साहन:** ***खेलो इण्डिया योजना*** के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण खेलों के लिए विशेष रूप से **"ग्रामीण खेल महाकुम्भ"** आयोजित किया था। खेलो इण्डिया योजना में **अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (USIS)** और **नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम (NSTSS)** भी सम्मिलित हैं।
- **लोढ़ा समिति की सिफारिशों की स्वीकृति:** लोढ़ा समिति ने देश में खेल संस्कृति के घटते स्तर के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न कर दी है। इससे सुधारों की मांग भी उठी है। लोढ़ा समिति की जिन सिफारिशों को सामान्य रूप से खेलों में लागू किया जा सकता है, वे इस प्रकार हैं:
  - नौकरशाहों और मंत्रियों की खेल संघों और संस्थाओं की सदस्यता पर प्रतिबन्ध लगाना।
  - एक व्यक्ति की खेल संस्थाओं की सदस्यता के कार्यकाल और वह कितनी बार इन संस्थाओं का सदस्य बन सकता है, उस संख्या को सीमित करना।
  - भूतपूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों को सम्बन्धित खेलों की संस्थाओं से जोड़ा जाना चाहिए।
  - संबंधित खातों की लेखा परीक्षा CAG द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा कराई जानी चाहिए।

  खेल संस्थाओं को RTI के अंतर्गत लाया जाना चाहिए (RTI के अंतर्गत BCCI के विषय पर बाद के खंड में चर्चा की गयी है)।

TOPS (टारगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम)

- पुरानी योजना का सूत्रपात नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड (NDSF) के अंतर्गत किया गया था, जिसका उद्देश्य 2016 और 2020 में होने वाले ओलम्पिक खेलों के लिए सम्भावित पदक सम्भावनाओं को पहचानना और उनको सहायता प्रदान करना था।
- इस योजना के अंतर्गत चयनित एथलीटों को विश्व स्तर की सुविधाएँ और आवश्यक सहायता प्रदान करने वाले संस्थानों में उनके अनुकूल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत एथलीटों के चयन का बेंचमार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप होना है।
- समिति अपनी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में निर्णय करेगी और आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। समिति का आरम्भिक कार्यकाल उसकी अधिसूचना से एक वर्ष तक का होगा।

8.5.1. पारदर्शिता में वृद्धि

(Increasing Transparency)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- CIC ने अपने नवीनतम आदेश में BCCI की प्रशासक समिति (COMMITTEE OF ADMINISTRATORS: COA) से उसको RTI के दायरे में लाने के लिए आग्रह किया है।

पक्ष में तर्क

- **लोक प्राधिकरण** - सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को सार्वजनिक निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की है क्योंकि यह विभिन्न सार्वजनिक कार्यों को केंद्र और राज्य सरकारों की स्वीकृति से एकाधिकारपूर्वक सम्पादित करता है।
- **पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व -** BCCI पहले से ही लेखा परीक्षा के दायरे में आता है। अतः इसे RTI के तहत आने में संकोच नहीं करना चाहिए।
- **दोषी को सजा** - अनेक विवादों के बावजूद देश में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। अतः खिलाड़ियों के साथ-साथ अधिकारियों की भी जवाबदेयता होनी चाहिए तथा अनियमितता का दोषी पाने पर उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए।
- **काले धन की भूमिका को कम करना -** पारदर्शिता BCCI द्वारा नियमित रूप से अर्जित सार्वजनिक धन पर सरकारी नियंत्रण को और अधिक सशक्त बनाएगी।
- **सरकार ने आदेश** दिया है कि 10 लाख या इससे अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले सभी राष्ट्रीय खेल संघों (NATIONAL SPORTS FEDERATIONS:NSF) को RTI अधिनियम 2005 की धारा 2 (H) के तहत "लोक प्राधिकरण" के अंतर्गत माना जायेगा। हालाँकि BCCI को उपर्युक्त राशि से अधिक प्राप्तियों के बाद भी अनेक रियायतें प्रदान की गई हैं।
- **लोढ़ा समिति** ने अपनी सिफारिशों में इसका समर्थन किया है।

विपक्ष में तर्क

- **लेखा-परीक्षण -** BCCI द्वारा अपने खाते का लेखा-परीक्षण पहले ही कराया जा चुका है।
- **कार्य दक्षता को प्रभावित करेगा-** अधिकारियों के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप एवं उनकी जाँच का भय उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा। हालाँकि यह तर्क वैध नहीं है क्योंकि RTI के तहत भी कई मामलों में पर्याप्त छूट प्रदान की गई है। (बॉक्स देखें)
- **सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत -** क्रिकेट का यह राष्ट्रीय शासी निकाय तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। इस प्रकार BCCI को एक निजी निकाय के रूप में माना जाता है।

VISION IAS

BCCI एक सार्वजनिक प्राधिकरण क्यों है?

- BCCI केंद्र और राज्य सरकारों से सभी प्रकार की मान्यता और सुविधाओं को प्राप्त करने वाली 'भारतीय टीम' के रूप में नामित अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैचों का आयोजन करता है।
- सरकारी समर्थन में शामिल हैं:
  - BCCI को हजारों करोड़ रुपये की कर रियायतें
  - स्टेडियम के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराना
  - मैचों के दौरान सुरक्षा उपलब्ध करना
  - वीजा आदि के लिए सुविधाएँ
- इसका भारत में क्रिकेट से सम्बंधित सभी गतिविधियों पर पूर्ण एकाधिकार और व्यापक नियंत्रण है।

आगे की राह

संसद को BCCI तथा अन्य खेल निकायों को RTI के दायरे में लाने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। यह खेल में अच्छे खिलाड़ियों, खेल-संस्कृति और व्यावसायिकता (PROFESSIONALISM) को बढ़ावा देने में सहायक होगा। यह इन निकायों के अप्रासंगिक व्यय को रोकेगा और खिलाड़ियों को उनके प्रशिक्षण के लिए हस्तांतरित राशि का उचित उपयोग करने में मदद करेगा क्योंकि ये सार्वजनिक जांच के अंतर्गत आएंगे।

8.6. विश्वविद्यालय और राजनीति

(University And Politics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कुछ समय पूर्व **टी.एस.आर.सुब्रमण्यम** समिति ने विश्वविद्यालयों में राजनीति और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के सम्बन्ध में अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत कीं।

विश्वविद्यालयों में राजनीति की संस्कृति:

- भारत के शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति का जुड़ाव कोई नई घटना नहीं है। हमारे स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान विश्वविद्यालय सर्वाधिक सक्रिय राजनीतिक अखाड़ों में से एक थे। इनमें **बहिष्कार और स्वदेशी** जैसे सशक्त राजनीतिक आन्दोलन पूरे उत्साह से चलाये गए थे।
- हमारे नेताओं ने शैक्षिक संस्थानों में राजनीतिक जागरूकता को बहुत अधिक महत्त्व दिया। इसका कारण यह है कि सतर्क छात्र राज्य के शोषक चरित्र पर प्रश्न उठाने की बेहतर स्थिति में होते हैं।
- परन्तु स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति की गतिशीलता में परिवर्तन आया है। इससे छात्र राजनीति के मूल्यों में भी परिवर्तन देखने को मिले हैं।
- रोहित वेमुला मामले से लेकर JNU में विरोध प्रदर्शन व दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा जैसी घटनाओं के कारण भारत के शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ती हुई राजनीति के विषय में चिंताएँ उभर कर सामने आयीं।
- इन मुद्दों पर विचार करने और भारत में शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा **टी.एस.आर.सुब्रमण्यम समिति** का गठन किया गया था।

भारत में समय-समय पर निम्नलिखित शैक्षणिक समितियों की स्थापना की गयी:

- राधाकृष्णन समिति 1948-49
- मुदलियार आयोग 1952
- कोठारी आयोग 1964-66

इस विषय पर समिति की अनुशंसाएँ:

- मूल रिपोर्ट में विश्वविद्यालय परिसर में राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।
- इसमें एक सुझाव **भारतीय शिक्षा सेवा (IES)** गठित करने का है ताकि शिक्षा क्षेत्र में प्रशासनिक मानकों को बेहतर बनाया जा सके। इसके कैडर नियन्त्रण का अधिकार केंद्र सरकार के पास होना चाहिए।
- इसके साथ ही इसमें एक **स्थायी शिक्षा आयोग** की स्थापना की बात भी की गई। इसका कार्य विश्वविद्यालयों में परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों का आंकलन करना और तदनुसार आवश्यक परिवर्तनों की अनुशंसा करना होगा।

विश्वविद्यालयों में राजनीति:

सकारात्मक पक्ष:

- अनेक प्रख्यात विद्वानों के मत में विश्वविद्यालयों में राजनीति शैक्षिक कार्यक्रम का ही अंग है क्योंकि छात्रों को उनके **परिवेश और समाज के सम्बन्ध में अधिक जागरूक बनाना आवश्यक है**। केवल सुविज्ञ छात्र ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और स्वयं भी राष्ट्र के लिए एक मूल्यवान सम्पत्ति बन सकते हैं।
- छात्रों के राजनीतिक संगठन सरकार की नीतियों के प्रति युवाओं के मत निर्माण में सहायक होते हैं। वे विशिष्ट रूप से शैक्षणिक व छात्र-सम्बन्धी मुद्दों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठन ही एक मात्र मंच है जिसके माध्यम से विद्यार्थी कॉलेज प्रशासन के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित कर सकते हैं और अपनी माँगें रख सकते है।
- हमारा संविधान भी **स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार तथा संगठन बनाने के अधिकार** के अंतर्गत इस प्रकार की शिकायत निवारण प्रणालियों और उनकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है।
- वर्तमान समय में उदारवादी विचारों वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वायत्तता और स्वतंत्र विचारधारा के लिए स्थान चाहता है। ऐसे में छात्रों की संघ बनाने और अपनी विचारधारा विकसित करने की चेतना को दबाना अत्यंत अलोकतान्त्रिक माना जाएगा।

लिंगदोह आयोग (2006) का गठन छात्र संघ चुनावों के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। उसने निम्नलिखित अनुशंसाएँ कीं:

- चुनावों की छोटी और अप्रत्यक्ष प्रक्रिया।
- इसमें सुझाव दिया गया था कि चुनाव प्रचार को कठोरता से विश्वविद्यालय/कॉलेज परिसर तक ही सीमित होना चाहिए।
- चुनाव खर्च की सीमा होनी चाहिए।
- आयोग ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी राजनेता या भूतपूर्व छात्र को विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
- चुनावी प्रत्याशियों के लिए शैक्षिक, चरित्र और आयु से सम्बन्धित कुछ पात्रता मानदंड होने चाहिए।

- **नकारात्मक पक्ष**:
- ऐसे संगठन और उनकी गतिविधियाँ विश्वविद्यालय परिसरों में नियमित कक्षाओं और कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं।
- इन छात्र संघों को उनके मूल राजनीतिक दलों द्वारा समर्थन दिया जाता है। अतः अधिकांश समय वे छात्र हितों के स्थान पर अपने दलगत हितों के लिए कार्य करते हैं। यह छात्र संगठन राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध **गुंडागर्दी** में भी शामिल रहते हैं।
- इस बात को स्वीकार करते हुए IIT और IIM जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थानों ने छात्र संघों के राजनीतिकरण पर प्रतिबन्ध लगाने की कार्यवाही की है। केरल जैसे कुछ राज्यों में तो छात्र संघ के चुनावों पर पूर्णतया रोक लगा दी गयी है।
- शैक्षिक संस्थानों के राजनीतिकरण का परिणाम प्रायः यह होता है कि अकादमिक नियुक्तियाँ दलगत आधार पर होने लगती हैं और पाठ्यक्रम का निर्धारण भी पार्टी लाइन पर किया जाने लगता है। परिणामस्वरूप अव्यवहारिक पाठ्यक्रम, अयोग्य अध्यापक वर्ग और ऐसी डिग्रियाँ जिनसे रोजगार पाने की सम्भावना नगण्य होती है, देश के कई शैक्षिक परिसरों को खोखला करती जा रही हैं।

आगे की राह

"ज्ञान और उर्जा से परिपूर्ण छात्र ही एक पूर्ण जागरूक राष्ट्र का निर्माण करते हैं।'

- परन्तु कई आधारों पर यह पाया गया है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसरों का राजनीतिकरण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हानिकारक रहा है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रमुख संस्थानों में आवश्यक जागरूकता और अनावश्यक राजनीतिकरण (जिसका उद्देश्य पक्षपातपूर्ण राजनैतिक स्वार्थ होता है) के बीच उचित संतुलन खोजा जाये।
- अतः लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार कुछ कदम उठाने आवश्यक हैं। यद्यपि अभिव्यक्ति के अधिकार व संगठन बनाने के अधिकार का सम्मान करना और उन्हें बेहतर बनाया जाना आवश्यक है तथापि परिसरों का राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। वास्तव में कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के स्थान हैं, स्वार्थपूर्ण राजनीति का मंच नहीं।

8.7. सेना से जुड़े समता सम्बन्धी मुद्दे

(Parity Issues Related to Army)

मुद्दे के विषय में: सेना में दो प्रकार की असमानताएँ होती हैं:

- कॉम्बैट अधिकारियों और नॉन-कॉम्बैट अधिकारियों के बीच

- सैन्य और असैन्य अधिकारियों के बीच

कॉम्बैट बनाम नॉन-कॉम्बैट अधिकारी

- लॉजिस्टिक्स, इंजीनियर, सिग्नल इत्यादि जैसी सहायक सेवाओं के अधिकारियों की पदोन्नति कॉम्बैट सेवाओं के अधिकारियों के समान नहीं होती है।
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, कॉम्बैट सहायक सेवाओं के उन 141 अधिकारियों में प्रत्येक को 20,000 रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश सेना को दिया जिन्हें शीर्ष न्यायालय के फैसले के बावजूद लगातार पदोन्नति से वंचित रखा गया था।
- यह मामला 2009 में सेना द्वारा स्थापित एक भेदभावपूर्ण पदोन्नति नीति से सम्बंधित है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सेना के दो अंगों - इन्फेंट्री और आर्टिलरी- के सम्बन्ध में सेना के निर्णयों को पक्षपात पूर्ण पाया था। इस नीति के निर्धारण के दौरान इन दो अंगों के अधिकारियों का उस समय निर्णय निर्माण में वर्चस्व था।

आगे की राह

- एक ऐसी स्थिति से बचने की आवश्यकता है जहां कम पदोन्नति के कारण अधिकारी लॉजिस्टिक्स सेवा में कार्य करने से इन्कार कर दें।
- इसके अलावा, एक कम मेधावी अधिकारी को दूसरे अधिकारी पर वरीयता केवल इस तथ्य के आधार पर नहीं दी जानी चाहिए कि वह अधिकारी कॉम्बैट अंग से जुड़ा है। यह मेरिटोक्रेसी आधारित तंत्र के विरुद्ध है।

सैन्य बनाम असैन्य अधिकारी

- अधिकारियों के वेतन और भत्तों में काफी असमानता है। उदाहरणार्थ, सेना के एक ब्रिगेडियर और पुलिस के DIG के वेतन और स्थिति में अंतर तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग (CPC) के बाद से लगातार कम हुआ है। वर्तमान में सातवें CPC की सिफारशों के अनुसार ब्रिगेडियर के भत्तों को DIG के भत्ते से नीचे रखा गया है। जबकि सच तो यह है कि सेना के अधिकारियों में केवल 5% ही ब्रिगेडियर बन पाते हैं और वह भी 26 वर्षों की सेवा के बाद जबकि केवल 14 वर्षों की सेवा के बाद ही लगभग 90% से अधिक IPS अधिकारी DIG के रूप में पदोन्नत होते हैं।
- विकलांगता पेंशन, गैर-कार्यात्मक उन्नयन (non-functional upgrade) आदि के संबंध में भी इसी तरह के मुद्दे हैं।
- नागरिक सेवाओं से सम्बद्ध अधिकारियों की कम अवधि की सेवाओं के बावजूद उनका अपने सैन्य समकक्षों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करना, बहु-कैडर वातावरण में काम करने वाले सशस्त्र बलों के लिए कुछ परिचालानात्मक समस्याओं को जन्म देता है क्योंकि अक्सर असैन्य प्राधिकरण या अधिकारी उनकी बात सुनने से इन्कार कर देते हैं। यह सेनाओं के मनोबल को प्रभावित करता है और इसमें सुधार अवश्य किया जाना चाहिए।

सुझाव

- केन्द्रीय वेतन आयोग में सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को शामिल करना या सैन्य बलों के लिए एक अलग वेतन आयोग का गठन करना।
- नौकरशाही की तुलना में सैन्य बलों की स्थिति एवं कमान तथा नियंत्रण संबंधी मुद्दों में आये परिवर्तन की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए एवं इसे दुरुस्त करने के लिए एक समयबद्ध उपाय सुझाए जाने चाहिए। यह कदम सेना को सम्मान देने और उन्हें उनका हक़ दिलाने के लिए आवश्यक है।
- हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इस मामले के पुनरावलोकन का निर्णय लिया है।

8.8. 7वां वेतन आयोग

(7th Pay Commission)

न्यायमूर्ति ए.के.माथुर की अध्यक्षता वाले सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर 2015 में वित्त मंत्री को सौंप दी। इसकी मुख्य अनुशंसाए 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हो गईं हैं।

VISION IAS

- सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करने हेतु लगभग प्रत्येक 10 वर्ष बाद वेतन आयोग का गठन करती है और प्रायः कुछ संशोधनों के साथ इन्हें राज्यों द्वारा अपना लिया जाता है।
- 7वें वेतन आयोग से लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और 55 लाख पेंशनधारी लाभान्वित होंगे।

मुख्य अनुशंसाए:

- वेतन एवं भत्तों में 23.55 % की वृद्धि।
- न्यूनतम वेतन 18,000 रूपये प्रतिमाह और अधिकतम वेतन 2.25 लाख प्रतिमाह।
- वार्षिक वृद्धि की दर 3 प्रतिशत ही बनी हुई है। इसके अतिरिक्त पेंशन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- सशस्त्र बलों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' के आधार पर **असैनिक कर्मचारियों को भी 'वन रैंक वन पेंशन'** का प्रस्ताव।
- वार्षिक वृद्धि, प्रदर्शन के निम्न मानदंडों पर आधारित होगी-
  - मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) के माध्यम से अप्रेज़ल के बेंचमार्क को सख्त बनाते हुए इसे "अच्छा" से "बहुत अच्छा" कर दिया गया है।
  - अपनी सेवा के पहले 20 वर्षों में नियमित पदोन्नति।

- इन अनुशंसाओं को लागू करने पर 1.02 लाख करोड़ रूपये का वित्तीय बोझ बढ़ेगा- 73,650 करोड़ रुपये केन्द्रीय बजट और 28,450 करोड़ रुपये रेलवे बजट द्वारा वहन किया जायेगा।
- सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से राजकोषीय घाटा 0.65% बढ़ेगा जबकि छठें वेतन आयोग से यह 0.77% बढ़ा था।

क्वालिटी रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट आदि के आधार पर सभी श्रेणी के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कार्य-निष्पादन सम्बद्ध वेतन (PRP) प्रारम्भ करने की सिफारिश की गयी है।

- PRP में वर्तमान बोनस योजनाओं को भी सम्मिलित करना चाहिए।
- 52 भत्तों को समाप्त किया गया है, वर्तमान भत्तों में या नये प्रस्तावित भत्तों में अन्य 36 भत्तों को सम्मिलित किया गया है।
- अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ग्रेड-पे को पे-मैट्रिक्स में समाहित किया गया है। अब तक कर्मचारी के पद का निर्धारण ग्रेड-पे से होता था जो अब पे-मैट्रिक्स के स्तर से निर्धारित किया जायेगा।
- जो वित्तीय लाभ IAS और IFS को प्राप्त थे उन्हें IPS और IFoS तक पहुँचाना। यद्यपि आयोग इस मुद्दे पर एकमत नहीं था।
- सैन्य सेवा के विभिन्न पक्षों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाने वाला सैन्य सेवा वेतन (MSP), केवल रक्षा बलों के कर्मियों के लिए स्वीकार्य होगा।
- शार्ट सर्विस कमिशन अधिकारियों को 7 से 10 वर्ष की सेवा के बीच किसी भी समय सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त होने की अनुमति दी जाए।

सातवें वेतन आयोग का उद्देश्य 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। यद्यपि, आयोग ने **"भुगतान निर्धारण के सिद्धांत"** के मामले में पिछले आयोग की तुलना में कुछ अधिक परिवर्तन नहीं किया है। इससे सिविल सेवा में भी परिवर्तन की बहुत कम सम्भावना है।

VISION IAS

- आयोग परम्परानुसार आवश्यकता आधारित वेतन गणना पर निर्भर रहा है।
- वर्तमान मे ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जहाँ बेहतर प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाए और गैर-निष्पादनकर्ताओं को नियमित रूप से हटाया जाए।
- आयोग ने प्रदर्शन पर आधारित वेतन और बोनस भुगतान को उत्पादकता से जोड़ने की सिफारिश की है। यद्यपि लाभ केन्द्रित निजी क्षेत्र के विपरीत सरकार का उद्देश्य सामाजिक सरोकार है। इस कारण उत्पादकता को मापना कठिन हो जाता है।
- आयोग ने 20 वर्ष की सेवा के पश्चात गैर-निष्पादकों को हटाने की सिफारिश की है। जिसका अर्थ है उन लोगों का वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दिया गया है जो अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के मापदंडो के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करते हैं।
- सिफारिशों में इस बात की भी अनदेखी की गयी है कि सरकार निम्न स्तर के कर्मियों जिनके न्यूनतम वेतन निजी क्षेत्र में बाजार मानक के दुगने से भी अधिक हैं, की तुलना में उच्च स्तर के कर्मियों को बाज़ार मानकों के हिसाब से पर्याप्त वेतन नहीं देती ।
- कार्यक्षेत्र के जानकार लोगों को आकर्षित करने, पार्श्व प्रवेश को सुगम बनाने, सरकारी कर्मियों के ढांचे के पुनर्गठन और वेतनमान सरंचना को उत्पादकता से जोड़ने संबंधित चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं।

नौकरशाही को पुनर्जीवित करने के लिए उपर्युक्त उपायों के साथ-साथ प्रशासनिक सुधार भी आवश्यक हैं।

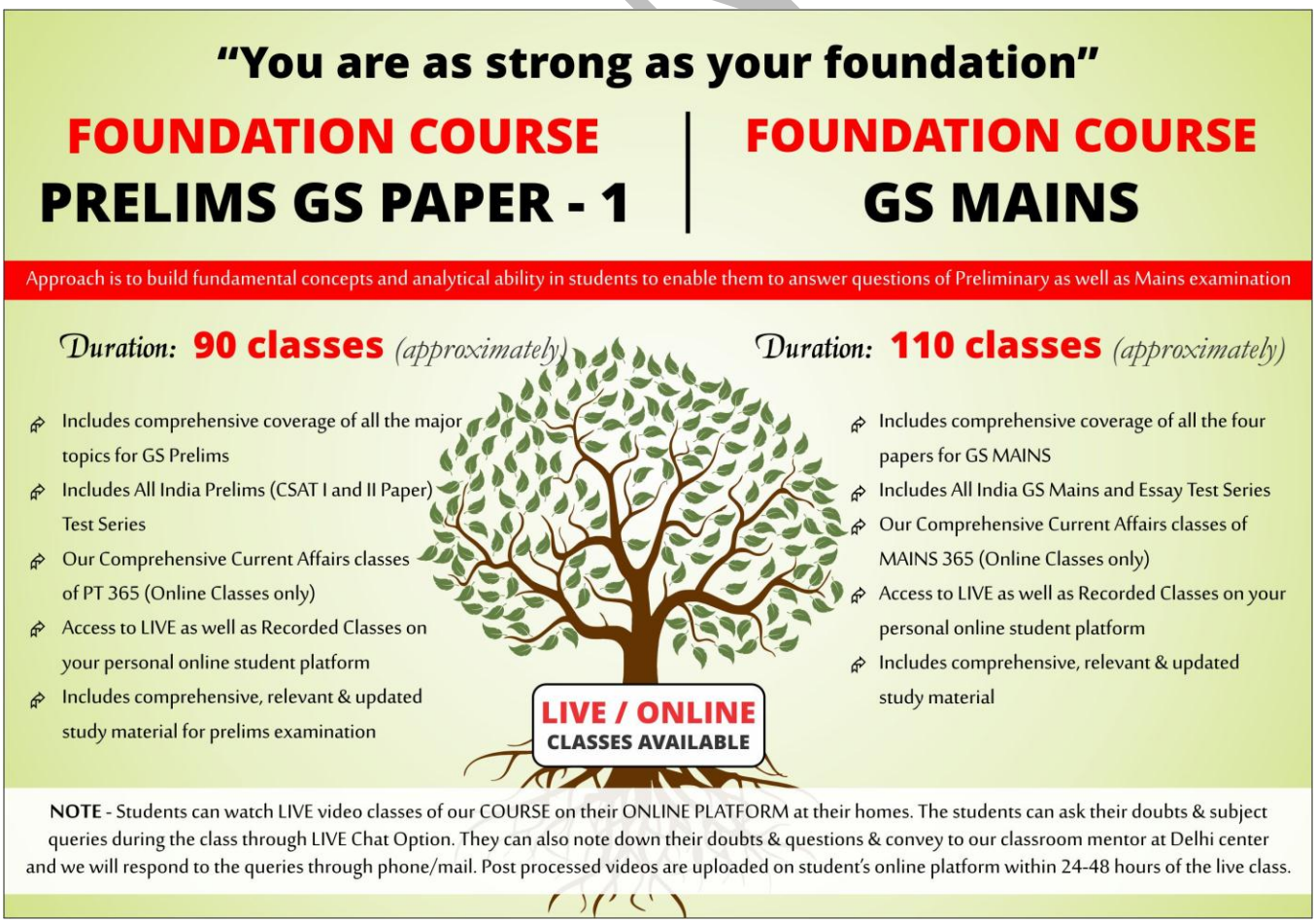

9. ई-गवर्नेंस

(E-GOVERNANCE)

9.1. ई-क्रांति: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2.0

(E-Kranti: National E-Governance Plan 2.0)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार लोक सेवा प्रदायगी में प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर इसे और अधिक नागरिक उन्मुखी और प्रभावी बनाने के लिये प्रयासरत है लेकिन डिजिटल इंडिया के माध्यम से परिकल्पित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार ने **डिपार्टमेंट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी तथा डिपार्टमेंट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एवं पब्लिक ग्रीवान्स** द्वारा विकसित NeGP को **2006** में मंजूरी प्रदान कर दी थी। इसमें 27 मिशन मोड परियोजनाएं (MMPs) और 8 घटक सम्मिलित हैं।
- "प्रमोटिंग ई-गवर्नेंस - द स्मार्ट वे फॉरवर्ड" शीर्षक से जारी की गई **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2008)** की 11वीं रिपोर्ट सरकार से ई-गवर्नेंस क्षमता बढ़ाने का आह्वान करती है।
- 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई-क्रांति-राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) 2.0 के दृष्टिकोण और प्रमुख घटकों के लिए अपनी मंजूरी दी।
- इस कार्यक्रम ने नागरिकों के लिए विभिन्न एप्लीकेशनों के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्राप्त करने के लिए **कॉमन सर्विस सेंटर** की स्थापना का प्रावधान किया था।
- वर्तमान में, ई-क्रांति के अंतर्गत सरकार द्वारा 44 MMPs कार्यान्वित की जा रहीं हैं।

प्रमुख विशेषताऐं

- ई-क्रांति डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का महत्वपूर्ण स्तंभ है। ई-क्रांति का विज़न **"शासन में बदलाव लाने के लिए ई- शासन को रूपान्तरित करना"** है।

ई-क्रांति के मुख्य क्षेत्र -

1) शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी (ई-शिक्षा)
2) स्वास्थ्य (ई-स्वास्थ्य सेवा)
3) किसान
4) वित्तीय समावेशन
5) नियोजन
6) न्याय
7) सुरक्षा
8) साइबर सुरक्षा

- ई-क्रांति का उद्देश्य नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं वहनीय खर्च पर उपलब्ध कराना तथा ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए एकीकृत और अंतर-परिचालनीय (इंटरऑपरेबल) प्रणालियों के माध्यम से उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित करना है।
- कार्यक्रम प्रबंधन संरचना का उपयोग ई-क्रांति के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सभी हितधारकों के विचार जानने, अंतर-मंत्रालयी मुद्दे सुलझाने और परियोजनाओं की त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए मंच प्रदान करने हेतु किया जाएगा।
- प्रबंधन संरचना के मुख्य घटकों में निम्न सम्मिलित होंगे:
  - वित्तीय प्रावधानों के अनुसार परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (CCEA)

VISION IAS

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया पर निगरानी समिति
- संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया परामर्शदाता समूह
- मिशन मोड परियोजनाओं (MMP) को जोड़ने या हटाने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च समिति जो उचित और अंतर-मंत्रिस्तरीय मुद्दों का समाधान करने वाली मानी जाती है।
- व्यय वित्त समिति (EFC)

- संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों पर MMPs के कार्यान्वयन का संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान फ्रेमवर्क के अंतर्गत व्याप्त कमजोरियां और खतरे विभिन्न MMPs के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वांछित परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं।

चुनौतियां
- डिजिटल अवसंरचना का अभाव
- प्रॉसेस रीइंजीनियरिंग का अभाव
- ई-गवर्नेंस एप्लीकेशनों के कमजोर मानक और अंतर परिचालनीयता (इंटर-ऑपरेबिलिटी)
- कमजोर निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली
- लास्ट माइल कनेक्टिविटी का अभाव
- वर्तमान IT अवसंरचना का इष्टतम उपयोग न होना
- साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

आगे की राह

डिजिटल इंडिया के शुभारंभ से यह पता चलता है कि ई-गवर्नेंस परियोजना सरकार द्वारा निर्धारित दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना एक निश्चित उद्देश्य वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है की निम्न स्तरों (कॉमन सर्विस सेंटर्स) और उच्च स्तरों (सुरक्षित और विश्वसनीय नेटवर्क स्थापित करना) के मध्य कार्यान्वयन और मूल्यांकन के स्तरों पर **समन्वय** स्थापित किया जाए।

9.2. हाल ही में आरम्भ की गई अन्य पहलें

(Other Recent Initiatives)

9.2.1. ICT विजन डॉक्यूमेंट 2025

(ICT vision document 2025)

चुनाव आयोग ने ICT विज़न डॉक्यूमेंट 2025 प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत चुनावी परिवेश में नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा पहले से मौजूद प्रौद्योगिकियों को समेकित करने की रणनीति की व्याख्या की गई है। ICT 2025 के चार प्रमुख घटक हैं:

- इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन
- GIS, एनालिटिक्स एंड इंटीग्रेटेड कांटेक्ट सेंटर
- डेटा सेंटर, IT सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी सहित IT इंफ्रास्ट्रक्चर
- ज्ञान प्रबंधन, क्षमता निर्माण और सोशल मीडिया का उपयोग।

9.2.2. प्रगति: प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन

(Pragati: Pro-Active Governance & Timely Implementation)

इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जन सामान्य की शिकायतों को संबोधित करने के साथ ही भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है। यह राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं की निगरानी तथा समीक्षा का कार्य भी करता है।

विशेषताएँ

- बहु-उद्देशीय तथा मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म
- एकीकरण एवं परस्पर संवाद हेतु एक अद्वितीय प्लेटफॉर्म
- यह प्लेटफॉर्म तीन उद्देश्यों शिकायत निवारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और परियोजना को पूरा करेगा।
- निगरानी: यह IT आधारित निवारण और निगरानी प्रणाली है।
- यह तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों डिजिटल डाटा प्रबंधन, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक (जिओ-स्पैशियल) प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
- इसके माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर पूरी जानकारी और जमीनी स्तर की स्थिति के नवीनतम विजुअल्स के साथ चर्चा कर सकते हैं।

महत्व

- यह सरकार को अधिक कुशल और जवाबदेह बनाएगा।
- यह सहकारी संघवाद की दिशा में एक कदम है क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है।

9.2.3. जनता के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन

(VIRTUAL POLICE STATION (VPS) FOR PUBLIC)

- जनता के बीच पुलिस स्टेशन के कामकाज की समझ विकसित करने के उद्देश्य से राजधानी में वर्चुअल पुलिस स्टेशन (VPS) का शुभारंभ किया जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (CRRI)** ने VPS का विकास किया है।
- VPS माउस के क्लिक के माध्यम से पुलिस स्टेशन के कामकाज से जनता को परिचित कराने के लिए अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण साधन है।
- यह गिरफ्तारी, यौन उत्पीड़न की शिकायतों के पंजीकरण, FIR के पंजीकरण आदि जैसी मुख्य प्रक्रियाओं के बारे में जानने के लिए पुलिस और जनता को कम्प्यूटरीकृत पुलिस स्टेशन के प्रत्येक कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
- **"VPS पुलिस का कामकाज मानवीय बनाने की दिशा में एक कदम है** क्योंकि यह पुलिस स्टेशन के कामकाज के बारे में बताता है। इसके माध्यम से नागरिक पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिस स्टेशन में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों यथा- प्रबंधन, प्रशासन, जांच, न्यायालय के समक्ष जाने, फोरेंसिक इत्यादि से परिचित हो जाते हैं।
- यह प्रशिक्षण साधन उन महिलाओं को सशक्त बनाएगा जो बलात्कार की घटना को दर्ज कराने से डरती हैं।

9.2.4. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)

[Public Financial Management System (PFMS)]

- सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत सभी प्रकार के लेन-देन और भुगतानों के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के उपयोग को सार्वभौमिक बनाने का निर्णय लिया है।
- व्यय विभाग द्वारा प्रबंधित PFMS, भुगतान प्रोसेसिंग करने, लेने-देन पर दृष्टि रखने, निगरानी करने, लेखांकन करने, सामंजस्य स्थापित करने और सूचना देने के लिए एंड-टू-एंड सॉल्यूशन प्रदान करता है।

महत्व

- यह देश में केंद्रीय योजनाओं या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के संबंध में फण्ड के उपयोग पर जानकारी प्रदान करेगा जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन में **सार्वजनिक जवाबदेही** बढ़ाने के लिए बेहतर निगरानी, समीक्षा और उचित निर्णय समर्थन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होगा।

VISION IAS

- इसके परिणामस्वरुप सार्वजनिक व्यय में सरकारी पारदर्शिता के लिए बेहतर नकदी प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में प्रभावशीलता और मितव्ययिता तथा विभिन्न योजनाओं के बीच संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग पर वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त होगी।

यह आशा की जा रही है कि इससे योजनाओं को बेहतर तरह से प्रशासित और प्रबंधित करने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही, इसके परिणामस्वरुप प्रणाली में स्थिरता, लाभार्थियों को प्रत्यक्ष भुगतान तथा सार्वजनिक फंड के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

9.2.5. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)

- CPGRAMS एक ऑनलाइन वेब आधारित एप्लीकेशन है जो लोक शिकायतों के त्वरित निवारण की सुविधा प्रदान करता है। यह नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और शिकायतों पर की गई कार्यवाही की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करता है।
- शीघ्र अग्रेषण और शिकायत निवारण के लिए संबंधित मंत्रालय / विभाग / सरकारी संगठन की आवश्यकता के मुताबिक यह सिस्टम बहुत अधिक लचीला है तथा आवश्यकतानुसार इसे कई स्तरों तक बढ़ाया जा सकता है।
- लोक शिकायत पोर्टल पिछले कुछ वर्षों के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ विकसित हुआ है:
  - लोक शिकायत से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में सेवा देना तथा इन शिकायतों के निवारण की निगरानी करना।
  - ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और अपनी शिकायत की स्थिति का ट्रैक रखने हेतु नागरिकों को सक्षम बनाना।
  - बिना किसी देरी के जाँच एवं कार्रवाई करने में मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को सक्षम बनाना।
  - संबद्ध मंत्रालयों/विभागों तक शिकायतों के भौतिक अग्रेषण को कम करना/ खत्म करना।

9.3. ई-शासन पहलों की चुनौतियां और सीमाएं

(Challenges and Limitations of E-Governance Initiatives)

- **वित्तपोषण:** ई-शासन पहल में वित्तपोषण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है।
- **परिवर्तन का प्रबंधन:** EDI, इंटरनेट और अन्य IT आधारित प्रौद्योगिकियों सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकारी सेवाओं के वितरण और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक और कानूनी परिवर्तनों की आवश्यकता होगी।
- **गोपनीयता:** जब भी कोई नागरिक किसी सरकारी एजेंसी के साथ कोई अंतरण (transaction) करता है तो उस दौरान वह बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारीयों को साझा करता है, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नागरिकों से संबंधित सूचना प्रवाह विश्वसनीय चैनलों और निर्बाध नेटवर्क से होकर गुजरे।
- **प्रमाणीकरण:** सरकारी सेवाओं के लिए अंतरणों को सुरक्षित बनाना एक और चिंता का विषय है। सेवाओं का अनुरोध करने वाले नागरिकों की पहचान को उनके द्वारा सेवाओं की प्राप्ति या उपयोग से पहले सत्यापित किया जाना चाहिए।
- **अंतर-परिचालनीयता** (इंटरऑपरेबिलिटी): राज्य सरकारों तथा राज्य सरकार के भीतर विभिन्न मंत्रालयों के मध्य इंटरऑपरेबिलिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
- **सेवाओं का वितरण:** चूंकि देश में PC और इंटरनेट की पहुंच बहुत कम है, इसलिए ई-सेवाओं के वितरण के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिसका उपयोग गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सके।

- **मानकीकरण:** न केवल आवश्यक प्रौद्योगिकियों के लिए अपितु ई-मेल बनाने से लेकर वेबसाइटों के नामकरण आदि जैसे कार्यों के लिए भी मानक निर्मित किये जाने चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी मुद्दे:** ई-गवर्नेंस पहल को सार्वजनिक सेवाओं के लागत प्रभावी वितरण के लिए उपयुक्त हार्डवेयर प्लेटफार्मों और सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन पैकेजों की पहचान करनी चाहिए। इन हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्मों तथा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों के माध्यम से प्रौद्योगिकीय मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए।
- **स्थानीय भाषा का उपयोग:** सामान्य जन के उपयोग हेतु सुविधाजनक भाषा में सामान्यतः स्थानीय भाषा में सूचना प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। GIST और लैंग्वेज़ सॉफ्टवेयर जैसी तकनीकी पहले से विद्यमान हैं, जिससे अंग्रेजी से अन्य भाषाओं में लिप्यांतरण (ट्रांसलिटरेशन) किया जा सकता है।

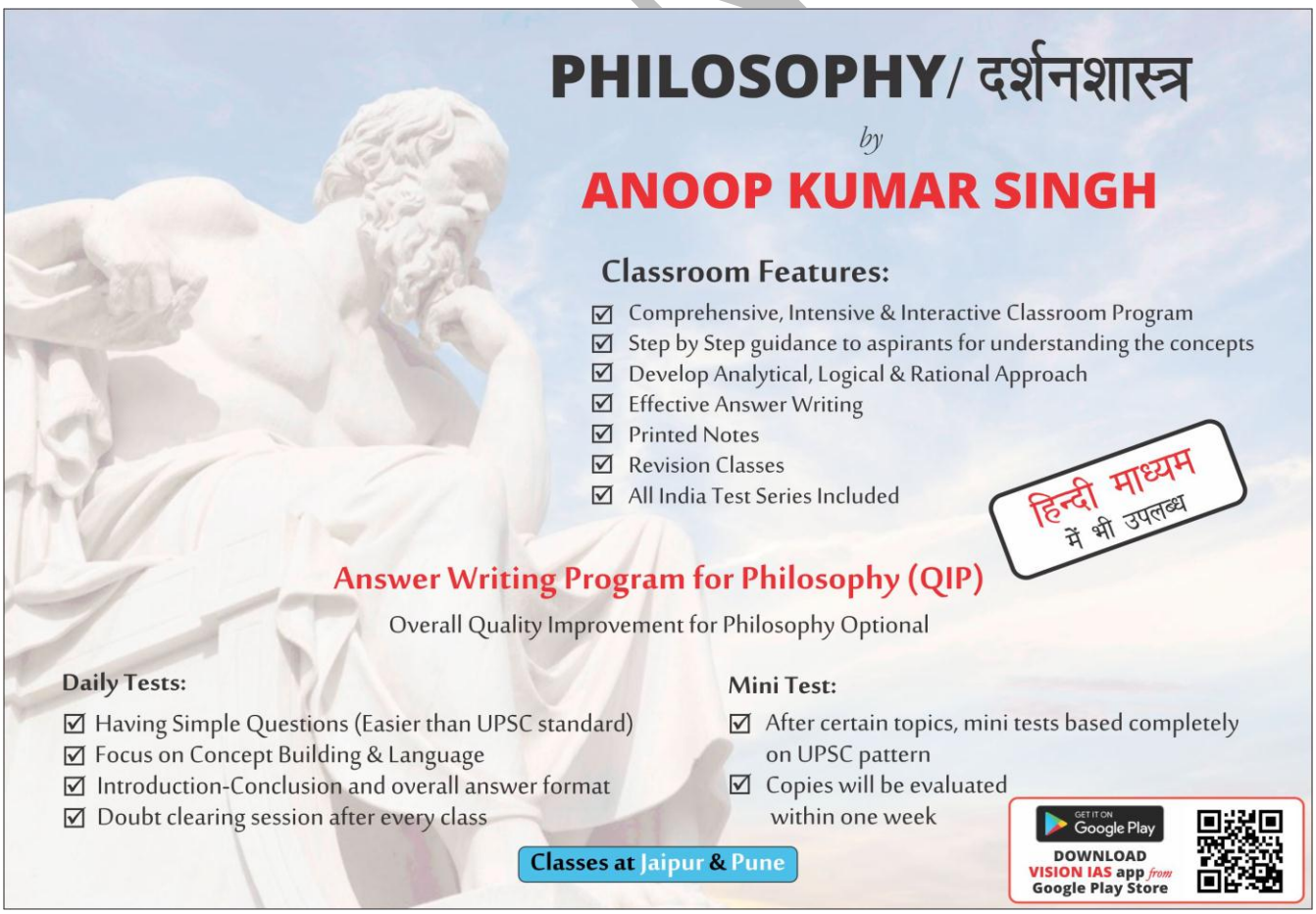

10. स्थानीय शासन

(LOCAL GOVERNANCE)

10.1. म्युनिसिपल बांड

(Municipal Bonds)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, 14 राज्यों के 94 शहरों को म्युनिसिपल बांड जारी करने के लिए उनकी तैयारी के आधार पर क्रिसिल (CRISIL) जैसी एजेंसियों ने क्रेडिट रेटिंग प्रदान की।
- इन एजेंसियों द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT मिशन के अंतर्गत आने वाले शहरों का मूल्यांकन किया गया।
- इनमें से 55 शहरों को "इन्वेस्टमेंट ग्रेड" रेटिंग प्राप्त हुई जबकि 39 शहरों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड (BBB-) से नीचे की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई हैं।

आवश्यकता

- भारतीय शहरों का राजस्व, सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम है। इसी का परिणाम है कि भारतीय शहर वित्तीय रूप से पर्याप्त स्वायत्त नहीं हो सके हैं।

पृष्ठभूमि

- इशर जज अहलूवालिया (2011) की अध्यक्षता वाली शहरी अवसंरचना संबंधी समिति ने अनुमान लगाया कि भारतीय शहरों को अगले दो दशक अर्थात 2031 तक स्थिर कीमतों पर लगभग 40 ट्रिलियन रूपए निवेश करने की आवश्यकता होगी।
- सेबी द्वारा 2016 में म्युनिसिपल बांड संबंधी विनियम जारी किए गए।
- यदि म्युनिसिपल बांड कुछ निश्चित नियमों के अनुरूप हों तथा उनकी ब्याज दरें बाजार आधारित हों तो भारत में म्युनिसिपल बांड को कर-मुक्त कर दिया जाना चाहिए।
- नगर निगमों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने की आवश्यकता है तथा उन्हें परियोजना लागत का कम से कम 20 प्रतिशत योगदान करना होगा।
- नगर निगम पिछले एक वर्ष में प्राप्त किसी भी ऋण के संबंध में डिफाल्टर की स्थिति में नहीं होनी चाहिए।
- नगर निगमों को ऋण के मूलधन की वापसी सुनिश्चित करने हेतु ऋण को पूर्ण परिसंपत्ति कवर (फुल एसेट कवर) प्रदान करना होगा। इन बांड्स को जिस परियोजना के लिए जारी किया गया है, उस परियोजना के माध्यम से प्राप्त धन को एक अलग एस्क्रौ अकाउंट में रखना होगा। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा इस अकाउंट की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।
- 2017 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित त्रिवर्षीय कार्यवाही एजेंडा में म्युनिसिपल बांड मार्किट के उपयोग करने की बात भी की गई है।

महत्व

- शहरी स्थानीय निकायों की परियोजनाओं की निम्न व्यवहारिकता एवं लंबी परिपक्वता अवधि होती है एवं साथ ही लागत वसूल कर पाने की संभावना निम्न से लेकर मध्यम होती है। कम लागत पर उधार प्राप्ति इन शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक लाभपूर्ण स्थिति होगी। जिस नगर निगम की रेटिंग अधिक होगी, उसके लिए ब्याज और उधार की लागत उतनी ही कम होगी।
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए म्युनिसिपल बांड आवश्यक हैं।

चुनौतियां

- बॉन्ड निवेशक शहरों में पैसा तब तक निवेश नहीं करेंगे, जब तक कि वे नगर निगमों की राजकोषीय क्षमता के सम्बन्ध में आश्वस्त न हो जाए।
- अब तक अधिकांश म्युनिसिपल बांड निजी तौर पर जारी किये गए हैं और ये व्यापार योग्य नहीं हैं। इससे म्युनिसिपल बांड्स में निवेश बाधित हुआ है। वास्तव में ये बांड्स राज्य द्वारा गारंटी प्राप्त होने चाहिए।

VISION IAS

- यह असमानताओं का एक स्रोत भी हो सकता है क्योंकि बेहतर रेटिंग प्राप्त नगर निगम, निवेश का अधिकांश हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। पहले से ही अवसंरचनात्मक विकास में पिछड़े शहर निवेश के सन्दर्भ में क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट का शिकार बन सकते हैं।

आगे की राह

- सर्वश्रेष्ठ परम्पराएं जैसे
- म्युनिसिपल बांड जारी करने में सहायता करने हेतु डेवलपमेंट बैंक ऑफ साउदर्न अफ्रीका द्वारा अपनी बैलेंस शीट का उपयोग किया जाता है।
- डेनमार्क में शहरों के समूह (pool of the cities) में से किसी एक शहर के डिफॉल्ट होने की स्थिति में बांड धारकों के हितों की रक्षा के लिए एक एजेंसी मौजूद है।
- जापान में जापान फाइनेंस कार्पोरेशन फॉर म्युनिसिपल फाइनेंस इस कार्य हेतु सॉवरेन गारंटी प्रदान करता है। भारत को ऐसी ही सर्वोत्तम परम्पराओं को अपनाना चाहिए।
- म्युनिसिपल बांड को शहर के वित्तपोषण हेतु केवल एक अवयव के रूप में देखा जाना चाहिए। शहरों को राजस्व के लिए और अधिक स्रोतों की खोज करने की जरुरत है। इस दिशा में नए GST तंत्र के माध्यम से एकत्रित फंड एक नवीन स्रोत सिद्ध हो सकता है। इन सभी प्रयासों के लिए शहरी प्रशासन को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।

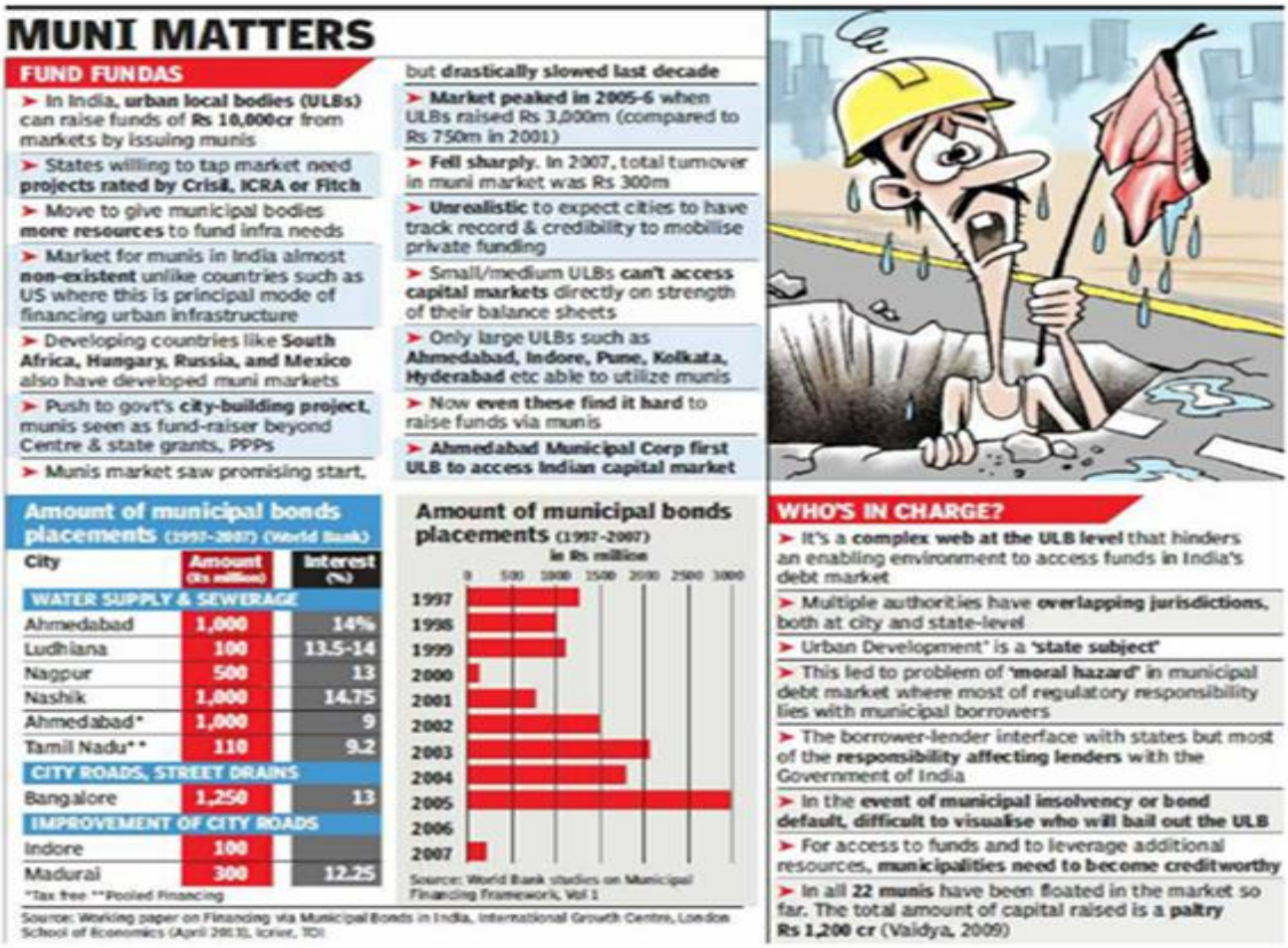

10.2. 14 वां वित्त आयोग और स्थानीय सरकार

(14TH FC AND LOCAL GOVERNMENT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान में दोगुने से अधिक की वृद्धि करने की अनुशंसा की है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई है कि यह धनराशि स्वच्छता, पेयजल, सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने पर व्यय की जाएगी।

वित्त आयोग

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 280** के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है जिसको **भारत के राष्ट्रपति** द्वारा गठित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य, केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना है।
- वित्त आयोग स्थानीय निकायों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्षतः सम्बंधित नहीं है। यह राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए **राज्य की संचित निधि के संवर्धन** हेतु आवश्यक उपाय सुझाता है।

अनुदान की प्रमुख विशेषताएं

निष्पादन अनुदान - यह स्थानीय शासन की दीर्घकाल में कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए तीन मुख्य लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रस्तावित किया गया है जो निम्नलिखित है-

राज्यों के 'आय और व्यय खाते' के रखरखाव को प्रोत्साहित करना।

अपने राजस्व में वृद्धि करने और प्राप्तियों में वृद्धि को प्रदर्शित करने में राज्यों की सहायता करना।

शहरी स्थानीय निकायों के सन्दर्भ में शहरी क्षेत्रों के लिए सेवा स्तर मानदण्ड को प्रकाशित करना।

आधारभूत अनुदान – स्थानीय निकायों को दी जाने वाली आधारभूत राशि है।

14वें FC ने स्थानीय स्वशासन के संगठन के रूप में **स्थानीय निकायों में विश्वास और सम्मान बनाए रखने** की आवश्यकता को स्वीकार किया है।

- कुल अनुशंसित धनराशि में से, लगभग 2 लाख करोड़ रूपये पंचायतों को और शेष नगरपालिकाओं को दिया जाना तय किया गया है। यह एक निश्चित राशि है।
- पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए अनुदान को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
  - **निष्पादन अनुदान (Performance Grant)**
  - **आधारभूत अनुदान (Basic Grant)**
- आधारभूत अनुदान और निष्पादन अनुदान का अनुपात ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए क्रमशः 90:10 और 80:20 निर्धारित किया गया है।
- राज्य सरकारों द्वारा निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया के निर्माण का प्रावधान किया गया है।
- अनुदान राशि को सीधे ही स्थानीय निकायों को प्रदान किया जायेगा।
- नागरिकों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने में स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता है।
- स्थानीय निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए आयोग ने राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों को **विज्ञापन कर** आरोपित करने की शक्ति देने और पंचायतों को स्थानीय उत्पादक परिसंपत्तियां आवंटित करने का सुझाव दिया है।

असम ग्राम पंचायत विकास योजना (VPDP) से संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है और इन्हें अन्य राज्यों द्वारा मॉडल दिशानिर्देश माना जाता है।

- आयोग के अनुसार, **खनन से मिलने वाली कुछ रॉयल्टी** स्थानीय निकायों के साथ साझा की जानी चाहिए क्योंकि खनन का स्थानीय वातावरण और अवसंरचना पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इससे स्थानीय निकायों को स्थानीय आबादी पर खनन के दुष्प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी।
- पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के विपरीत, फंड हस्तांतरण पर आरोपित शर्तों को कम किया गया है।
- यह ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को उन्हें आवंटित मूलभूत कार्य के निष्पादन हेतु **बिना शर्त समर्थन** प्रदान करता है।
- राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों द्वारा किया जाने वाला संसाधनों का वितरण।
- उत्तरदायित्व और कुशलतापूर्ण तरीके से आधारभूत सेवाओं के वितरण के संबंध में अपना अधिदेश प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा आधारभूत सेवाओं की प्रदायगी पर बल देने के साथ सहभागी तरीके से **ग्राम पंचायत विकास योजना** तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

VISION IAS

महत्व

- इन कदमों के माध्यम से राज्यों की संचित निधि के लिए कोष में वृद्धि की जा सकती है।
- सत्ता हस्तांतरण की इस योजना में स्थानीय निकायों द्वारा लोगों की भागीदारी के साथ अपनी विकास योजनाएं तैयार करने और विकास की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने की क्षमता है।
- 14वें FC ने 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा आरंभ कि गई **विकेंद्रीकरण** की प्रक्रिया को और अधिक सशक्त किया है।
- ये अनुशंसाएं सरकार की नीतियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, AMRUT की तर्ज पर बेहतर, सुरक्षित एवं स्वच्छ गांव और नगरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- स्थानीय सरकारों के कामकाज में धन की कमी एक बड़ी बाधा है। आयोग द्वारा इन परिवर्तनों के माध्यम से स्थानीय निकायों के कामकाज में सुधार की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

10.3. प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर (मेयर)

(Directly Elected Mayor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश में महापौर के प्रत्यक्ष निर्वाचन और पद को सशक्त बनाने हेतु एक निजी सदस्य द्वारा संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान स्थिति

- महापौर, भारत में नगर निगमों के अध्यक्ष और आधिकारिक प्रभारी होते हैं।
- कार्यकारी अधिकारी महापौर और पार्षदों के साथ समन्वय रखते हुए निगम की योजना और विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।
- वर्तमान में **छह राज्यों** - उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी और तमिलनाडु - में ऐसे महापौरों का प्रावधान है जो पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

प्रस्तावित परिवर्तन

- विधेयक का लक्ष्य एक प्रत्यक्ष निर्वाचित और सशक्त महापौर का प्रावधान करके नगरों के लिए मजबूत नेतृत्व स्थापित करना है।
- यह कई सुधारों का भी सुझाव देता है जैसे कि क्षेत्रीय सभाओं और वार्ड समितियों के गठन को अनिवार्य बनाना तथा स्थानीय सरकारों को शक्तियों का हस्तांतरण करके उन्हें मजबूत बनाना।
- विधेयक इसकी भी सिफारिश करता है कि महापौर की अवधि, नगरपालिका की अवधि के साथ ही समाप्त होनी चाहिए।
- यह महापौर को नगरपालिका का कार्यकारी प्रमुख बनाता है।
- यह महापौर को परिषद के कुछ प्रस्तावों पर वीटो शक्ति भी देता है और साथ ही, महापौर को मेयर-इन-काउंसिल के सदस्यों को मनोनीत करने की भी अनुमति देता है।

चिंताएँ

- यथास्थितिवादी व्यवहार और निहित स्वार्थों का होना पहली चुनौती है। राज्य सरकारें शहरी स्तर की संस्थाओं को अधिक अधिकार नहीं देना चाहती हैं।
- प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर के साथ एक मूलभूत मुद्दा यह है कि दक्षता को बढ़ाने के बजाय, यह वास्तव में प्रशासन में अस्थिरता ला सकता है, विशेषकर तब जब महापौर और नगर परिषद के चयनित अधिकांश सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हों।
- विधेयक महापौर और उसके द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों के हाथ में सभी अधिकार केन्द्रीकृत करता है और एक राजनीतिक कार्यकारी का प्रावधान करता है जिसे न तो निर्वाचित परिषद का समर्थन प्राप्त होता है, न ही निर्णय लेने के लिए उनकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

लाभ

- महापौरों को अनियमितताओं के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है क्योंकि उन्हें सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।
- यह हमारे नगर पालिकाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को भी प्रोत्साहित करेगा।
- चूंकि संचार और रिपोर्टिंग सीधे महापौर द्वारा की जायेगी इसलिए अधिक पारदर्शिता लाने में यह उपयोगी होगा।

VISION IAS

- यह महापौर कार्यालय को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाने के साथ ही योग्यता, निष्पादन और जवाबदेही युक्त संस्कृति के सृजन में भी योगदान करेगा।

10.4. शहरी विकास मन्त्रालय : नए सुधार

(Ministry of Urban Development: New Reform Matrix)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शहरी शासन, योजना तथा प्रबन्धन में सुधार हेतु शहरी विकास मन्त्रालय ने अगले तीन वर्षों के लिए राज्य एवं शहरी सरकारों के द्वारा सुधारों को लागू करने एवं सक्षम बनाने हेतु सुधारों के एक नए सेट को विकसित किया है।

सुधारों में सुझाये गए प्रमुख प्रावधान

विश्वास एवं प्रमाणन की ओर बढ़ना

- वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत पहले प्रमाणन की आवश्यकता होती है और तत्पश्चात अनुमति दी जाती है। आवश्यक यह है कि नागरिकों में विश्वास स्थापित किया जाए तथा अनुमति पहले दे दी जाये और प्रमाणन बाद में भी दिया जा सकता है।
- भवन निर्माण के लिए अनुमति देने, नगरपालिका के अभिलेखों में टाइटल के बदलाव (mutation), तथा जन्म-मृत्यु पंजीकरण, शहरी सरकार तथा नागरिकों के मध्य वृहद् स्तर पर भौतिक संपर्क को शामिल करने के सन्दर्भ में इस दृष्टिकोण की सिफारिश की गयी है।

भूमि स्वत्वाधिकार (लैंड टाइटलिंग) कानूनों का निर्माण

- **मैकेंजी** के अनुसार देश में लगभग 90 % भूमि रिकॉर्ड अस्पष्ट हैं। भू-बाजार विकृतियों और अस्पष्ट भू-स्वत्वाधिकार प्रतिवर्ष देश की GDP को 1.30 % तक नुकसान पहुँचाते हैं।
- इस कारण आवश्यकता यह है कि एक निश्चित समय सीमा में भू-स्वत्वाधिकार कानून बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जाए।

स्थानीय शहरी निकायों की क्रेडिट रेटिंग और वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग

- नगरपालिका क्षेत्र का कुल राजस्व समग्र सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.75% है जबकि दक्षिण अफ्रीका में 6 %, ब्राज़ील में 5 % तथा पोलैंड में 4.5 % है।
- इसलिए, नगर पालिकाओं को निजी व्यक्तियों के लिए सृजित निधि/मूल्य से कुछ मूल्य पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है। शहरों की पूंजीगत आवश्यकताओं के खर्चों की पूर्ति हेतु म्युनिसिपल बांड्स जारी किये जा सकते हैं.।

ULBs के पेशेवर रवैये में सुधार होना चाहिए

- **गोल्डमैन सैच** के अनुसार ,वरिष्ठता की अपेक्षा मेधा आधारित नौकरशाही देश की GDP वृद्धि में प्रतिवर्ष लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है।
- साथ ही योग्य तकनीकी स्टाफ प्रबंधकीय सुपरवाइजर की कमी के कारण ULBs में नवाचार रुक जाता है।
- शहरी प्रशासन में पेशेवरों को पार्श्विक (लेटरल) भर्तियों द्वारा शामिल किया जाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा शहरों में शीर्ष पदों को खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जाना चाहिए।

उपर्युक्त कदमों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास :

- **सुधार प्रोत्साहन निधि (Reform Incentive Fund)**को 2017-18 के 500 करोड़ से क्रियान्वयन काल के अगले तीन वर्षों तक प्रतिवर्ष 3000 करोड़ तक बढ़ाना।
- AMRUT दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सुधार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सुधार की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शन के आधार पर शहरों को रैंकिंग प्रदान करना।
- नयी पहलों का आरम्भ जैसे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी, मेट्रो नीति, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम, लिवेबिलिटी इंडेक्स फॉर सिटीज (Livability Index for Cities), वैल्यू कैप्चर पॉलिसी और मल-कीचड़ एवं अन्य कचरा प्रबंधन नीति।

VISION IAS

11. अन्य महत्वपूर्ण विधान/विधेयक और अधिनियम

(OTHER IMPORTANT LEGISLATIONS/BILLS AND ACTS)

11.1. आधार

(Aadhaar)

सुर्खियों में क्यों?

- सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। इसके अतिरिक्त पैन (PAN) प्राप्त करने के लिए, मिड-डे मील के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए तथा मोबाइल फोन कनेक्शन के सत्यापन के लिए भी आधार संख्या को अनिवार्य बनाया गया है।

आधार क्या है?

- आधार भारत के निवासियों के लिए UIDAI द्वारा जारी एक 12-अंकीय संख्या है। हालांकि, यह आधार संख्या धारक को नागरिकता या निवास का कोई अधिकार नहीं प्रदान करता है।
- भारत में निवास करने वाला किसी भी उम्र और लिंग का व्यक्ति आधार प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से नि:शुल्क नामांकन करा सकता है।
- आधार पहचान तथा निवास का प्रमाणपत्र है। अब इसका प्रयोग निवासियों के वित्तीय पते के रूप में भी किया जा सकता है।
- एकत्रित डेटा में शामिल हैं:
  - **आवश्यक जनसांख्यिकीय सूचना**: नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता, माता-पिता / अभिभावक विवरण (बच्चों के लिए आवश्यक, वयस्कों के लिए वैकल्पिक), फोन और ईमेल (वैकल्पिक) जैसे संपर्क विवरण।
  - **आवश्यक बॉयोमीट्रिक जानकारी**: फोटो, हाथ की दसों उँगलियों का फिंगर प्रिंट, आईरिस स्कैन।

आधार की विशेषताएं और लाभ

- आधार के प्रयोग ने सब्सिडी में व्यय होने वाली **49,000 करोड़ रुपये** से अधिक की राशि को बचाने में सरकार की मदद की है। अब तक **106 करोड़** से अधिक लोगों को आधार प्रदान किया जा चुका है।
- **एक आधार**- चूंकि आधार बॉयोमीट्रिक आधारित विशिष्ट पहचान प्रणाली है अतः यह सरकारी योजनाओं में नकली और छद्म (ghost) लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करता है। जिससे लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है तथा लीकेज को रोकने में मदद मिलती है।
- **पहचान सेवायें**: एजेंसियां व्यक्ति की पूर्व सहमति प्राप्त करने के बाद UIDAI से अनुरोध कर भारत में कहीं से भी ऑनलाइन प्रमाणन कर सकती हैं। इससे बैंक खाते खोलने के लिए आवश्यक विभिन्न पहचान प्रमाण पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- **बॉयोमीट्रिक्स को अवरुद्ध करना (Blocking Biometrics)**: जब भी आधार कार्ड धारक की पहचान को प्रमाणित करने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है तब इस संबंध में आधार कार्ड धारक एक सन्देश प्राप्त करता है। किसी भी संशय की स्थिति में वह अपनी बॉयोमेट्रिक्स जानकारियों को ब्लॉक भी कर सकता है। इस प्रकार वह किसी भी व्यक्ति या संस्था को स्वयं से संबंधित पहचान के विवरणों तक पहुँच प्राप्त करने से रोक सकता है।
- पहचान या पते के प्रमाण के लिए जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं होते हैं उनके लिए "परिचयकर्ता (introducer)" प्रणाली के आधार पर आधार संख्या जारी की जा सकती है।
- **इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (Electronic benefit transfers)**: आधार वित्तीय पते के रूप में कार्य करता है इस प्रकार इच्छित लाभार्थियों को सीधे लाभ प्रेषित करने के लिए एक सुरक्षित और कम लागत वाला मंच प्रदान करता है।
- **दक्षता और प्रभावोत्पादकता में सुधार (Improving Efficiency and Efficacy)**: स्पष्ट उत्तरदायित्व और पारदर्शी निगरानी व्यवस्था लाभार्थियों की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच (accessibility) तथा उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।
- **स्व-सेवा के माध्यम से सेवाओं पर नियंत्रण निवासियों को प्राप्त होना (Self-service puts residents in control)** : आधार को सत्यापन प्रणाली के रूप में प्रयोग करके, निवासी सीधे अपने मोबाइल फोन, कियोस्क या अन्य तरीकों से अपने अधिकारों के विषय में नवीनतम सूचना तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं एवं सेवाओं की मांग और अपनी शिकायतों का निपटान कर सकते हैं।

VISION IAS

आधार से संबद्ध मुद्दे

- **गोपनीयता का मुद्दा**: गोपनीयता के अधिकार को सुनिश्चित किए बिना स्वतंत्रता के अधिकार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। भारत में एक व्यापक गोपनीयता कानून की अनुपस्थिति में, आधार अनिवार्य बनाने से राज्य द्वारा व्यक्तिगत जानकारी और निगरानी का दुरुपयोग हो सकता है। इस प्रकार गोपनीयता का अधिकार संकट में पड़ सकता है।
- **सूचना जारी करना**: किसी व्यक्ति की जानकारी केवल दो मामलों में प्रकट की जा सकती है:
  - जिला न्यायालय के आदेश पर
  - राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में "संयुक्त सचिव" के दिशा निर्देशों के आधार पर (धारा 33 (2))
- दृष्टव्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक अस्पष्ट शब्द है तथा आधार के संबंध में गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किये गए प्रावधान तुलनात्मक रूप से टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 में टेलीफोन संवादों की सुरक्षा हेतु किये गए सुरक्षा उपायों से भी कमजोर हैं। टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अनुसार सार्वजनिक आपात या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए टेलीफोन संवादों संबंधी डेटा साझा करने की अनुमति है किन्तु ऐसा केवल गृह सचिव द्वारा जारी आदेश के द्वारा ही किया जा सकता है।
- **व्यक्तियों की प्रोफाइल तैयार करने की संभावना**: इस अधिनियम में बिग डेटा एनालिसिस के उपयोग द्वारा व्यक्ति की व्यवहार पद्धति और प्रोफाइल के निर्धारण के खिलाफ सुरक्षा के प्रावधान नहीं हैं।
- यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आधार के उपयोग के माध्यम से टेलीफोन रिकॉर्ड या हवाई यात्रा के रिकॉर्ड जैसे विभिन्न डेटासेट के बीच लिंक स्थापित करने से प्रतिबंधित नहीं करता है।
- यह उस अधिकतम अवधि को निर्धारित नहीं करता है जिसके लिए किसी व्यक्ति का प्रमाणीकरण रिकॉर्ड बनाए रखा जा सकता है।
- वास्तव में सरकार **धारा 57** के अनुसार विधेयक में उल्लिखित संदर्भों के अतिरिक्त किसी अन्य सन्दर्भ में भी आधार आधारित पहचान प्रमाणीकरण लागू कर सकती है।
- **अपराध का संज्ञान**: डेटा के दुरुपयोग संबंधी किसी भी शिकायत का किसी अदालत में केवल UIDAI द्वारा की गई शिकायत के आधार पर ही संज्ञान लिया जाएगा। इस प्रकार डेटा के दुरुपयोग से पीड़ित किसी व्यक्ति की शिकायत के निपटान का कोई उपाय नहीं है।
- **UIDAI की विवेकाधीन शक्तियां**: अधिनियम, UIDAI को संसद से पूर्व अनुमोदन के बिना अन्य जानकारियों को एकत्रित करने संबंधी निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है।
- **सार्वजनिक या स्वतंत्र पर्यवेक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है**: यह अधिनियम स्वतंत्र निगरानी या निगरानी की सीमाओं को निर्धारित नहीं करता है।
- **अभियोजन**: आधार अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार डेटा के दुरुपयोग के मामले में UIDAI पर आपराधिक मुकदमा चलाने संबंधी प्रावधान नहीं करता है।
- **मुआवजा**: पश्चिमी देशों के विपरीत, इस अधिनियम में उन व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है जिनसे संबंधित डेटा की सुरक्षा से समझौता किया गया है।
- **प्रमाणीकरण विफलता**: कनेक्टिविटी और अन्य मुद्दों के कारण जहां कुछ अपात्र लोगों को आधार संख्या प्रदान की गई है, वहीं कुछ गरीब परिवार पहचान प्रणाली से बाहर छूट गए हैं। इसके साथ-साथ इन समस्याओं के कारण बायोमेट्रिक आंकड़ों के दुरुपयोग, बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के मामले भी सामने आए हैं। इन मामलों में से करीब 30% कनेक्टिविटी और अन्य मुद्दों के कारण हैं।

निष्कर्ष

- आधार, प्रशासन प्रक्रियाओं और परिणामों में सुधार के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। यह सामाजिक और वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्रक में वितरण (डिलीवरी) सुधारों, राजकोषीय बजट का प्रबंधन, सुविधा बढ़ाने तथा परेशानी-मुक्त जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक उपकरण है। यह समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन का साधन है और इसलिए वितरणमूलक न्याय और समानता स्थापित करने का एक साधन भी है।

11.2. शत्रु संपत्ति (संशोधन और मान्यकरण) विधेयक, 2016

(Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2016)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने शत्रु संपत्ति (संशोधन और मान्यकरण) विधेयक, 2016 को पारित किया जो शत्रु संपत्ति पर सभी अधिकार, उपाधियों और हितों को संरक्षक (कस्टोडियन) में निहित करने हेतु शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में संशोधन करता है।

पृष्ठभूमि

- जब 1962 में चीन के विरुद्ध और 1965 व 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध आरंभ हुआ, तब इन देशों के नागरिकों की संपत्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रक्षा अधिनियम, 1962 और 1971 के तहत अपने नियंत्रण में ले ली गयी।
- इन सभी संपत्तियों को 'शत्रु संपत्ति' का नाम दिया गया था तथा इनके रखरखाव के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक पद सृजित किया गया। इसी पद को शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन या संरक्षक का नाम दिया गया। शत्रु संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 लागू किया गया था।
- इन वर्षों के दौरान, संरक्षक के अधिकारों और शत्रु संपत्ति पर शत्रु के अधिकारों के संबंध में कई विवाद अदालतों तक पहुंचे।
- 2005 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संरक्षक या कस्टोडियन शत्रु संपत्ति का मात्र एक ट्रस्टी होगा जो इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था I शत्रु संपत्ति का स्वामित्व उसके वास्तविक मालिक व उसके कानूनी उत्तराधिकारी में ही निहित होगा ।
- इस फैसले को निष्फल करने के लिए 2010 में एक अध्यादेश लाया गया, जो बाद में व्यपगत हो गया था। 7 जनवरी, 2016 को इसी उद्देश्य से एक अन्य अध्यादेश जारी किया गया।
- इसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए शत्रु संपत्ति (संशोधन और मान्यकरण) विधेयक, 2016 प्रस्तुत किया गया।

प्रावधान

- **शत्रु की परिभाषा में संशोधनः** अधिनियम में निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए प्रावधान शामिल करने हेतु 1968 की परिभाषा में पूर्वव्यापी (Retrospectively) बदलाव किए गए: (i) शत्रु के कानूनी उत्तराधिकारी, चाहे वे भारत के नागरिक हों; (ii) वह शत्रु जिन्होंने अपनी राष्ट्रीयता बदल दी हो; (iii) शत्रु की वह कंपनियां, जिनमें भारतीय सहभागी हैं, आदि।
- **शत्रु संपत्ति संबंधी अधिकार संरक्षक को प्रदान करनाः** इसके अंतर्गत 1968 के प्रावधानों में पूर्वव्यापी प्रभाव से निम्नलिखित बिंदु शामिल किए गए हैं (i) शत्रु की मृत्यु हो जाती है, या उसका कानूनी उत्तराधिकारी एक भारतीय है, फिर भी शत्रु संपत्ति पर अधिकार संरक्षक में ही निहित रहेगा; (ii) उत्तराधिकार कानून ऐसी संपत्ति पर लागू नहीं होगा; और (iii) 'निहित' का अर्थ है कि शत्रु संपत्ति के ऊपर सभी अधिकार, उपाधियाँ संरक्षक के पास ही होंगे।
- **संरक्षक के अधिकारः** संरक्षक केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी परिस्थिति में शत्रु संपत्ति का निपटारा कर सकता है या उसे बेच सकता है I
- **शत्रु द्वारा संपत्तियों का स्थानांतरणः** शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अंतर्गत शत्रु संपत्तियों के हस्तांतरण को संभव बनाया गया है। द्रष्टव्य है कि हस्तांतरण तभी संभव नहीं होगा जब यह सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो या संरक्षक में संपत्ति संबंधी अधिकारों को निहित करने के मार्ग में बाधक हो। संशोधन अधिनियम ऐसे सभी स्थानान्तरण पर पूर्वव्यापी रूप से प्रतिबंध लगाता है। 1968 से पहले या बाद में किए गए ऐसे किसी भी स्थानान्तरण को रद्द माना जाएगा।
- **सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंधः** यह सिविल अदालतों में शत्रु संपत्ति से संबंधित विवादों की सुनवाई पर प्रतिबंध लगाता है।

मुद्दे

विधेयक पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ स्वामित्व के अधिकारों को समाप्त करता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यह प्रावधान एकपक्षीय है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की गारंटी तथा राज्य के मनमाने कृत्यों से संरक्षण प्रदान करता है। विधेयक शत्रु संपत्ति के संबंध में किसी भी विवाद की सुनवाई करने से सिविल अदालतों को प्रतिबंधित करता है। यह कोई वैकल्पिक न्यायिक समाधान नहीं प्रदान करता है (जैसे-ट्रिब्यूनल)। इसलिए, यह न्यायिक आधार या पीड़ित व्यक्तियों की न्यायालय तक पहुंच को सीमित करता है

VISION IAS

11.3. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017

(Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अप्रैल 2017 में, लोकसभा द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक पारित किया गया।

2017 के इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान

- **थर्ड पार्टी इंश्योरेंस** – 2017 के इस विधेयक में, 2016 के विधेयक (संशोधन) में उपलब्ध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए देयता पर निर्धारित ऊपरी सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
- **थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत क्षतिपूर्ति चाहने वाले दावाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु योजना-** 2017 का विधेयक इस योजना के अंतर्गत अर्थदंड से संबंधित प्रावधानों को हटाता है।
- **हिट एंड रन दुर्घटनाओं हेतु निधियाँ** – घायल व्यक्ति के उपचार, क्षतिपूर्ति प्रदान करने एवं हिट एंड रन दुर्घटनाओं के मामले में घायल हुए व्यक्ति या मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए मोटर वाहन दुर्घटना निधि का गठन किया गया है। 2016 के विधेयक में इस निधि हेतु राशि के लिए कर/उपकर के संबंध में किए गए प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
- **एग्रीगेटर (aggregators) के लिए दिशानिर्देश** - राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने थे, जिसे 2017 के विधेयक में वैकल्पिक बना दिया गया है।

2016 का विधेयक एग्रीगेटर्स को डिजिटल बिचौलियों या बाजार स्थलों के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें यात्रियों द्वारा परिवहन के प्रयोजन से वाहन चालकों से संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है (टैक्सी सेवाएं)।

- **सड़क सुरक्षा के लिए एजेंसी** – 2017 का विधेयक केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान करता है (सुंदर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार)।
- **सड़क डिज़ाइन एवं अभियांत्रिकी**– 2017 का विधेयक यह प्रावधान करता है कि सड़कों की डिज़ाइन, निर्माण, या रखरखाव हेतु जिम्मेदार किसी भी ठेकेदार या परामर्शदाता को राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करना होगा और सड़क दुर्घटनाओं के लिए बुरे चालकों के स्थान पर उसे भी जिम्मेदार माना जाएगा और अर्थदण्ड लगाया जाएगा।
- **परेशानी मुक्त और त्वरित सेवाएं**: यह विधेयक ड्राइविंग लाइसेंसों की वैधता को बढ़ाने, लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त करने एवं ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने हेतु न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता को समाप्त करता है।
- **कठोर अर्थदण्ड**: शराब पीकर वाहन चालन, खतरनाक वाहन चालन, चालकों द्वारा सुरक्षा मानदण्डों (जैसे हेलमेट पहनना इत्यादि) के गैर-अनुपालन हेतु कठोर अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक ने वाहन चलाते समय पकड़े गए अल्पवयस्कों के माता-पिता के लिए तीन वर्ष का कारावास एवं साथ ही पीड़ित व्यक्ति को 10 गुना क्षतिपूर्ति प्रदान करना प्रस्तावित किया है।
- **आधार**: ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आधार संख्या की आवश्यकता है।

नए विधेयक के लाभ

- **एकीकृत दृष्टिकोण** – सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से जिम्मेदार बनाने के लिए दायित्व तय किया जा रहा है।
- **डिजिटलीकरण** – यह फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के कार्य को कठिन बनाएगा क्योंकि इसे आधार के साथ लिंक किया जाएगा एवं वाहनों का ई-पंजीकरण चोरी को हतोत्साहित करेगा एवं एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन पंजीकरण के अंतरण (portability) की दृष्टि से सुगमता को प्रोत्साहित करेगा।
- **नियम बद्ध** – विधेयक के क्रियान्वयन पश्चात् परीक्षण के बिना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना राजनेताओं सहित किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव हो जाएगा।
- **सड़क सुरक्षा** – विशेष रूप से यातायात के उल्लंघनकर्ताओं को लक्षित करते हुए कड़े दंड प्रावधानों का प्रयोग एवं प्राथमिकता क्षेत्रकों की पहचान करना सड़क सुरक्षा में सुधार करेगा।

VISION IAS

चुनौतियाँ

- यदि हम सड़क दुर्घटना के कारण होने वाले मौतों को कम करना चाहते हैं तो हमें पुलिस बल को पेशेवर और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। 2015 में ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या 1,46,133 थी।
- राज्य सरकारों को संशोधित कानून में निर्धारित प्रशासनिक सुधारों के प्रारंभिक रोल-आउट के लिए अनिवार्य रूप से तैयार रहना चाहिए, जैसे लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन जारी करना।
- सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कठोर अर्थदंड अधिरोपित करने से सड़क नियमों का प्रवर्तन स्तर कम होता है। IIT दिल्ली की एक भारत में सड़क सुरक्षा रिपोर्ट, 2015 के अनुसार कानून का निवारक प्रभाव, दंड की गंभीरता और तीव्रता एवं साथ ही साथ उल्लंघनों के लिए पकड़े जाने की उच्च संभावना की धारणा पर निर्भर करता है।

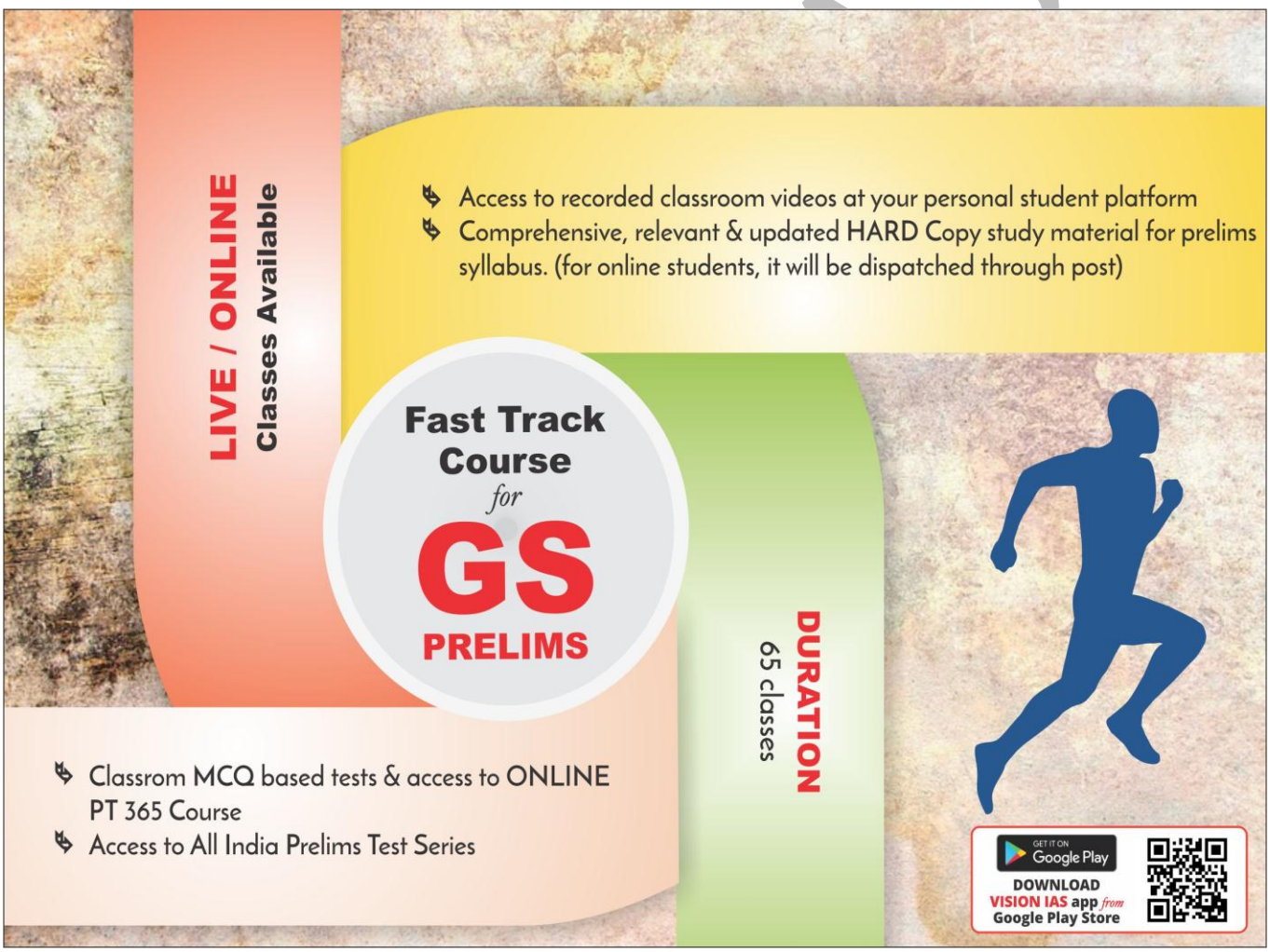

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.